खंड 1 अंक 10
हिन्दी

सत्यमेव जयते
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

पंद्रहवें वित्त आयोग की निधि और कोविड 19 प्रबंधन में उपयोग

ग्रामोदय संकल्प

आज़ादी का अमृत महोत्सव

पंचायतों का मंत्र होना चाहिए– 'दवाई भी, कड़ाई भी', और मुझे विश्वास है कोरोना की जंग में सबसे पहले जो विजयी होने वाला है, वो मेरे हिन्दुस्तान के गांव हैं।

नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

गिरिराज सिंह
केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री

कपिल मोरेश्वर पाटील
केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री

इस अंक में

• 15वां वित्त आयोग... • ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड–19... • सर्विस प्लस • सरपंच दीदी के बोल • सफलता की कहानियां

पंचायतों को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस/राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार-2021

पुरस्कार हमेशा से प्रोत्साहन का सशक्त माध्यम और प्रभावी उत्प्रेरक रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पंचायती राज मंत्रालय जनहित कार्यों और सेवाओं में सुधार के लिये पंचायतों को प्रोत्साहन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ पंचायत/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत करता आ रहा है। पुरस्कार में वित्तीय प्रोत्साहन (5—50 लाख रुपये तक) भी शामिल है। ये पुरस्कार 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू होने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रदान किये जाते हैं।

राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कारों के लिये देश भर की पंचायतों हेतु अधिक से अधिक जागरुकता लाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के अथक प्रयासों का परिणाम हुआ है कि प्रतियोगिता का स्तर बढ़ा है और वर्ष 2021 के पुरस्कारों के लिये प्रतिभागियों की संख्या लगभग 74,000 तक पंहुच गयी जो इसके पिछले वर्ष से 28% अधिक है। यह आंकड़ा पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की व्यापक पंहुच दर्शाता है। वर्ष 2021 के पंचायती राज पुरस्कारों (आकलन वर्ष 2019—20) के लिये 5 श्रेणियों में कुल 325 पुरस्कार दिये/घोषित किये गये।

- 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 30 ग्राम पंचायतों ग्राम परिषदों को बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार।
- 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 29 ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार।
- 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 30 ग्राम पंचायतों/ग्राम परिषदों को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार।
- 224 पंचायतों {(जिला पंचायतः 27); (ब्लॉक पंचायतः 49); (ग्राम पंचायत/ग्राम परिषदः 148)} को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार
- 12 राज्यों को ई.—पंचायत पुरस्कार।

कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्चुअली/ऑनलाईन मनाया गया। सोशल मीडिया मंचों से (फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर सीधे प्रसारण सहित) इस आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया जिससे 5,70,25,070 लोगों ने इस वर्चुअल आयोजन के लिये पीएम

इवेंट्स वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराया। माननीय प्रधानमंत्री ने इस आयोजन में शामिल होकर पूरे देश में सीधे प्रसारण/वेब कास्ट के जरिये राज्य मंत्रियों/पंचायत प्रतिनिधियों/अधिकारियों/आमजन को संबोधित किया।

संबोधन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि पंचायतें कोविड 19 की स्थिति से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। पूरे देश में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री का संबोधन देखा—सुना और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/पंचायतों के लिये यह बहुत ही प्रेरक साबित हुआ।

वर्तमान पुरस्कार वर्ष 2021 से लागू पहल के अंतर्गत, विलंब न होने देने के उद्देश्य से, पुरस्कार राशि सीधे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस्फर से विजेता पंचायतों को भेजी गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बटन दबाकर 2021 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार विजेताओं के लिये इस पहल की शुरूआत की।

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय योजना **स्वामित्व** का प्रायोगिक चरण सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद इसे देश के सभी गांवों में लागू करने हेतु शुभारंभ किया। इस अवसर पर वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से 4 लाख 9 हजार संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड भी वितरित किये गये।

इसके बाद पंचायती राज दिवस 2021, स्वामित्व और कोविड 19 पर माननीय पंचायती राज मंत्री का वीडियो संदेश हिन्दी और 12 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किया गया।

विषय - सूची

मुख्य संपादकः

सुनील कुमार (आईएएस)
सचिव
पंचायती राज मंत्रालय

संपादकः
डॉ. बिजय कुमार बेहेरा, आईईएस
आर्थिक सलाहकार

संपादकीय सहयोगः
आलोक पण्ड्या
अंजनी कुमार तिवारी

4
मंत्री महोदय का संदेश

5 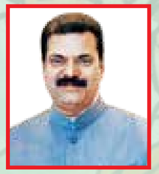
राज्यमंत्री महोदय का संदेश

6
सचिव महोदय का संदेश

7
15वां वित्त आयोग : हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य

11
ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड 19 की रोकथाम – व्यावहारिक एजेंडा

15
कोविड–19 संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता

32
कोविड–19 की रोकथाम में ग्राम पंचायतो की पहल – सर्वोत्तम प्रथाएं

39

सर्विस प्लस : ई–पंचायत परियोजना के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय की अभिनव पहल

स्थानीय ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान और कोविड–19 प्रबंधन में इसका योगदान 19

खाद्य सुरक्षा के लिए कोविड–19 के दौरान सामुदायिक बीज नेटवर्क की भूमिका 27

स्वदेशी सब्जियों के जैविक बीज उत्पादन में उद्यमिता अवसर और पोषण सुरक्षा 29

कौशल विकास के विकेन्द्रीकरण से गांव बनेंगे सक्षम 37

सरपंच दीदी के बोल 42

सफलता की कहानियां 43

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant to hurt any feelings and therefore may be excused.

सत्यमेव जयते

गिरिराज सिंह

केंद्रीय पंचायती राज और
ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा **'ग्रामोदय संकल्प'** पत्रिका के दसवें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह अंक **'15वें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु कार्ययोजना एवं कोविड–19 प्रबंधन के लिए इसके निहितार्थ'** विषय पर आधारित है।

15वें वित्त आयोग की अनुदान अनुशंसाओं के माध्यम से देश की पंचायतों को आगामी पांच वर्षों में 2,36,805 करोड़ रुपए की धनराशि गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु पहुंचेगी। इसके साथ ही आयोग ने स्थानीय ग्रामीण निकायों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 43,928 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। मुझे विश्वास है कि इस धनराशि से गांवों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की भी नींव रखी जा सकेगी।

विगत डेढ़ वर्ष से समूचा विश्व कोविड–19 की प्रतिकूलता का सामना कर रहा है। हमारी पंचायतों ने भी कोविड–19 के प्रसार को रोकने, कोरोना प्रोटोकॉल को लागू कराने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है। इस अभियान में पंचायतों के हाथ मजबूत करने के लिए उन्हें केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग कोविड–19 के नियंत्रण में करने हेतु अधिकृत किया गया है। विशेष रूप से, पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुदान राशि से अग्रिम 8923.8 करोड़ रुपए की धनराशि पहुंचाई गई है ताकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप गांवों में कोविड–19 को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाए जा सकें।

ग्रामोदय संकल्प के इस अंक में मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के अनुदान एवं पंचायत स्तर पर कोविड–19 प्रबंधन हेतु उसके प्रभावी उपयोग पर आलेख एवं जानकारी प्रदान की गई है। यह जानकारी इस समय अत्यंत प्रासंगिक है।

मुझे विश्वास है कि ग्रामोदय संकल्प का यह अंक पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं आमजन के लिए अत्यंत उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक साबित होगा।

गिरिराज सिंह

सत्यमेव जयते

कपिल मोरेश्वर पाटिल

राज्यमंत्री
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि पंचायती राज मंत्रालय त्रैमासिक पत्रिका **'ग्रामोदय संकल्प'** के दसवें अंक का प्रकाशन करने जा रहा है। यह पत्रिका देश की ढाई लाख से अधिक पंचायतों तथा उनसे जुड़े 31.65 लाख से अधिक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ ही अन्य पदाधिकारियों के पास पहुंचती है और इसके माध्यम से वे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाते हैं।

ग्रामोदय संकल्प के इस अंक की विषय वस्तु **'15वें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु कार्ययोजना एवं कोविड–19 प्रबंधन के लिए इसके निहितार्थ'** विषय पर आधारित है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में गांवों के सशक्तिकरण, उनके विकास एवं ग्रामीणजनों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त धनराशि प्रदान की गई है। 15वें वित्त आयोग (अनुदान अवधि 2021–2026) के माध्यम से भी 2 लाख 36 हजार करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पंचातयों को सीधे पहुंचने जा रही है। इस धनराशि से गांवों में पेयजल, स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो कि गांवों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पंचायतों को वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग कोविड–19 की रोकथाम में करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।

हम सभी कोविड–19 के कारण संपूर्ण विश्व में उत्पन्न हुए अभूतपूर्व संकट से सर्वविदित हैं। इस सकंट का सामना 'दवाई भी–कड़ाई भी' के मंत्र के माध्यम से ही संभव है। संतोष का विषय है कि हमारे देश की ग्राम पंचायतों ने विगत डेढ़ वर्ष में गांवों में कोरोना के प्रसार को रोकने एवं इस महामारी की रोकथाम में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन किया है। टीकाकरण के अभियान में भी पंचायतें अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

मुझे विश्वास है कि 'ग्रामोदय संकल्प' का यह अंक पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि के सुनियोजित उपयोग एवं गांवों में कोरोना नियंत्रण के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इस अंक में कोरोना नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले गांवों की सफलता की कहानियां भी हैं, जो दूसरी पंचायतों के लिए प्रेरक होंगी। साथ ही आप अपने सुझाव/अनुभव मुझे सीधे ई–मेल mos-mopr@gov.in पर साझा कर मंत्रालय के क्रिया–कलापों को अत्यधिक प्रभावी बनाने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

आने वाले त्यौहारों की शुभकामनाओं के साथ,

20/09/2021

कपिल मोरेश्वर पाटील

सत्यमेव जयते

संदेश

सुनील कुमार, आई.ए.एस.
सचिव
पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

ग्रामोदय संकल्प के दसवें अंक की विषय वस्तु **'15वें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग हेतु कार्ययोजना एवं कोविड–19 प्रबंधन के लिए इसके निहितार्थ'** पर आधारित है। कोविड–19 की महामारी के दौर में हमारे देश की ग्राम पंचायतों ने भीषण आपदा की पहली और दूसरी लहर में अत्यधिक सूझबूझ, लोकाचार एवं कड़ी मेहनत का परिचय दिया है। कोविड–19 महामारी के दुष्परिणों को न्यून करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने असाधारण प्रयत्न किए हैं। विशेषकर 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अनुदान की आर्थिक सहायता का लाभ उठाते हुए इस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में कार्य किया गया है।

पंद्रहवे वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय अनुदान जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने पंचायतों को अधिकृत किया है कि वे कोविड प्रबंधन के लिए 15वें वित्त आयोग की धनराशि का उपयोग कर सकती हैं। इस धनराशि से कोविड–19 नियंत्रण के साथ ही जागरूकता की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

ग्रामोदय संकल्प के इस अंक में ग्राम पंचायतों द्वारा कोविड–19 की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों एवं उस संदर्भ में 15वें वित्त आयोग के अनुदान के उपयोग पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही इस अंक में कोविड–19 की प्रतिकूल परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के प्रयासों एवं स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों को भी रेखांकित किया गया है।

मुझे विश्वाास है कि ग्रामोदय संकल्प का यह अंक पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगा।

सुनील कुमार

15वां वित्त आयोग : हर गांव तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य

–नरेन्द्र सिंह तोमर*

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 'ग्राम स्वराज' के माध्यम से गांवों को सशक्तिकरण के जिस मार्ग पर ले जाना चाहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन में गांवों के विकास की जो तस्वीर झलकती है उसका मर्म ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में दिखाई देता है। आत्मनिर्भर गांव की नींव पर ही आत्मनिर्भर राष्ट्र की इमारत खड़ी की जा सकती है। राष्ट्रपिता की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को मूर्त रूप प्रदान करते हुए संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे विशाल संस्था के रूप में आज देश में 2 लाख 69 हजार से अधिक पंचायतों के माध्यम से पूरे देश में गांवों की अपनी स्थानीय सरकार कुशलता के साथ कार्य कर रही है। गर्व का विषय यह भी है कि इन पंचायतों के 31 लाख से ज्यादा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में 44 फीसदी से ज्यादा यानि 13 लाख 80 हजार महिलाएं भी हैं जो पूरी सक्षमता के साथ ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्राम विकास की राह तैयार कर रही है।

हमारा हमेशा से मत रहा है कि गांवों में विकास तभी संभव हो पाएगा जबकि हम पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ ही वित्तीय संसाधन भी समुचित मात्रा में उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत सात वर्षों में पंचायतों तक समुचित धनराशि पारदर्शी और त्वरित व्यवस्था के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था पंचायती राज मंत्रालय ने की है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आज यदि पंचायतों के लिए सौ रुपए दिल्ली से जारी होते हैं तो पूरे सौ रुपए समय पर पंचायतों तक पहुंचते भी हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280(3)(BB) के तहत, केंद्रीय वित्त आयोग को राज्यों में पंचायतों के संसाधन बढ़ाने की अनुशंसा करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुसार 'आयोग का यह कर्त्तव्य होगा कि वह राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर राज्य में पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपायों के संदर्भ में राष्ट्रपति को अनुशंसा करें। स्पष्ट है कि केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान का मुख्य उद्देश्य पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि करना है ताकि वे कुशलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही सुशासन की स्थापना कर सके।

स्थानीय ग्रामीण निकायों के सशक्तिकरण एवं विकास के लिए केंद्रीय वित्त अनुदान आयोग की अनुशंसाएं दसवें वित्त आयोग (अनुदान अवधि 1995–2000) से प्रारंभ हुई थीं। लगभग डेढ़ दशक यानि बारहवें वित्त आयोग (अनुदान अवधि 2005–2010) तक पंचायतों को एकमुश्त आधार पर बहुत कम धनराशि की अनुशंसा की जाती रही। दसवें वित्त आयोग ने कुल 4380.93 करोड़ रुपए देश के स्थानीय ग्रामीण निकायों के अनुदान स्वरूप प्रदान करने की अनुशंसा की। 11वें वित्त आयोग (अनुदान अवधि 2000–2005) ने 8000 करोड़ रुपए की अनुशंसा की तो वहीं 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा में स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के अनुदान की अनुशंसा थी।

13वें वित्त आयोग (अनुदान अवधि 2010 – 2015) की स्थानीय ग्रामीण निकायों के संदर्भ में अनुशंसा में पूर्ववर्ती प्रक्रिया में बदलाव करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों को एकमुश्त राशि देने की बजाए विभाज्य पूल का 2.5 प्रतिशत प्रदान करने की अनुशंसा की। इस अवधि में 65,160.76 करोड़ रुपए के आवंटन में से राज्यों को 58,256. 63 करोड़ रुपए (89.40%) जारी किए गए।

* मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण, भारत सरकार

ग्राम पंचायत रणसिह कलां (पंजाब) में 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित मलजल शोधन संयंत्र। उपचारित जल का उपयोग सिंचाई कार्य में किया जाता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मे वर्ष 2014 में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने कामकाज संभाला तो 14वें वित्त आयोग (अनुदान अवधि 2015–2020) की अनुशंसाएं विचाराधीन थीं। प्रधानमंत्री जी के लिए गांव, गरीब और किसान पहली प्राथमिकता रहे हैं। उनका स्पष्ट मत है कि गांवों के सशक्तिकरण से ही हम एक समृद्ध, संपन्न और खुशहाल राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने अक्षरशः स्वीकार किया और गांवों के विकास के लिए समुचित धनराशि का प्रावधान किया। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं में पंचायतों के अन्य स्तरों को शामिल किए बिना सीधे ग्राम पंचायतों को राशि हस्तांतरण का प्रावधान था। 14वें वित्त आयोग ने 2,00,292.20 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को अनुदान के रूप में प्रदान करने की अनुशंसा की थी। 13वें वित्त आयोग की धनराशि से तीन गुना ज्यादा है। वर्ष 2015 से 2020 के मध्य 1,83,248.54 करोड़ रुपए (आवंटन का 91.49%) जारी किए जा चुके हैं। इस समुचित धनराशि के उपयोग से विगत पांच वर्षों में गांवों में मूलभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय विस्तार दृष्टिगोचर हुआ है। इस धनराशि से ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाओं की दिशा में कार्य किया गया है।

15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020–21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं वर्ष 2021–2026 की अनुदान अवधि हेतु उसकी पूर्ण रिपोर्ट भी आ चुकी है। स्थानीय ग्रामीण निकायों के संदर्भ मे भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सभी अनुशंसाओं को पूर्णरूपेण स्वीकार किया है। 2020–21 की अंतरिम रिपोर्ट में स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए 60,750 करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई थी, जिसमें से 60,559 करोड़ रुपए (आवंटन का 99.68 प्रतिशत) जारी भी कर दिया गया है। कोविड–19 की प्रतिकूल परिस्थितियों में जारी किया गया यह अनुदान अब तक का सबसे अधिक वार्षिक आवंटन है।

आयोग ने वर्ष 2021–2026 की अनुदान अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीन स्तरों को प्रदान करने की अनुशंसा की है। यह धनराशि चौदहवें वित्त आयोग की अनुदान अनुशंसा से 18 प्रतिशत ज्यादा है। पंद्रहवें वित्त आयोग के 2021–22 के मूल (अबद्ध) अनुदान की पहली किश्त के रूप में मई माह में राज्यों को 8923.8 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए जहां पंचायती राज के तीनों स्तरों जिला पंचायत, मध्यवर्ती (ब्लॉक) पंचायत एवं ग्राम पंचायत के साथ–साथ गैर भाग IX क्षेत्रों के पारंपरिक निकायो को भी अनुदान राशि जारी करने की अनुशंसा की है वहीं अनुदान को बद्ध एवं अबद्ध दो भागों में बांटकर ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के लिए स्पष्ट संसाधन उपलब्ध कराने की नई व्यवस्था की गई है। मूल या अबद्ध अनुदान वर्ष 2020–21 के लिए 50 प्रतिशत है तथा 2021–22 से 2025–26 के लिए 40 प्रतिशत है। जबकि बद्ध अनुदान वर्ष 2020–21 के लिए 50 प्रतिशत तथा 2021–22 से 2025–26 के लिए 60 प्रतिशत है।

अबद्ध या मूल अनुदान का उपयोग स्थानीय ग्रामीण निकायों द्वारा विशिष्ट स्थान की आवश्यकताओं के लिए, वेतन एवं अन्य स्थापना कार्यों को छोड़कर संविधान की 11वीं अनुसूचि में स्पष्ट 29 विषयों के लिए किया जा सकता है। किंतु बद्ध अनुदान का उपयोग सिर्फ तय की गई बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में ही किया जा सकता है। इसमें स्वच्छता एवं खुले में शोच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव और ग्रामीण अंचल में पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण को सम्मिलित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि आगामी पांच वर्षों में गांवों में पेयजल एवं स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रचुर धनराशि का उपयोग 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि से होना है। यह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की सिद्धी में एक सार्थक कदम है जो उन्होंने गांवों

को स्वच्छ और मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण करने के लिए लिया है।

15वें वित्त आयोग ने पंचायतों के तीनों स्तरों को अनुदान राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान तो किया है, किंतु पंचायती राज की मूल इकाई ग्राम पंचायतों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा राशि का उपयोग हो यह भी स्पष्ट नजर आता है। अनुदान राशि का 70 से 85% ग्राम पंचायत को भेजा जाएगा तो वहीं 10 से 25% राशि मध्यवर्ती या ब्लॉक पंचायत एवं 5 से 15% राशि जिला पंचायतों के माध्यम से उपयोग की जाएगी।

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं ऐसे संकटकाल में आई हैं जबकि संपूर्ण विश्व कोविड–19 के खिलाफ जंग लड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि आज हमारी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। विशेषकर ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके हम कोविड–19 के संकट का सामना अधिक सक्षमता से कर सकते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसा में 70,051 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 'स्वास्थ्य अनुदान' के रूप में स्थानीय निकायों को प्रदान करने की अनुशंसा की है। इसमें से 43,928 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आयुष्मान भारत के बुनियादी स्तंभ के रूप में ग्रामीण इलाको में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर उन्हें आरोग्य केंद्र के रूप में विकसित करना है। देश में डेढ़ लाख आरोग्य केंद्रों की स्थापना के इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में प्रावधान किया है। मुझे विश्वास है कि इस धनराशि से हम आने वाले समय में ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं का ऐसा नेटवर्क खड़ा कर पाएंगे जो ग्रामीणजनों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकर होगा।

कोरोना की प्रतिकूलता के कारण ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं रोजगार का संकट बड़ी चुनौती बन कर उभरा है, लेकिन यह हम सभी के लिए संतोष का विषय है कि विगत वर्ष कोविड–19 की शुरूआत से ही देश की पंचायतों ने कोरोना प्रसार को रोकने एवं इससे उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कोरोना के प्रति ग्रामीणों में जागरुकता लाने से लेकर गांवों के सैनिटाइजेशन, लॉकडाउन को लागू कराने, गांव में आने वाले प्रवासी श्रमिकों को क्वारेंटाइन सेंटर में रखने एवं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में गांवों ने पंचायतों में बढ़चढ़ कर कार्य किया है। गांवों में स्व–सहायता समूहों की बहनों के माध्यम से मॉस्क, सैनिटाजर एवं लिक्विड हैंडवाश का निर्माण करके और जहां इन परिवारों को संकट में आर्थिक संबल प्राप्त हुआ वहीं कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए संसाधन भी प्राप्त हो सके। इन सभी कार्यों में वित्त आयोग की अनुदान राशि का उपयोग किया गया। पंचायतों के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कोरोना का जितना प्रसार शहरी इलाकों में हुआ तुलनात्मक रूप से उतना हमारे देश के ग्रामीण अंचलो में नजर नहीं आता है। विगत वर्ष कोरोना लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होकर लौटे श्रमिकों के लिए छह राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान संचालित कर जहां रोजगार की व्यवस्था की गई तो वहीं मनरेगा के माध्यम से भी विगत वर्ष 389 करोड़ मानव दिवस का रिकार्ड रोजगार सृजन किया गया।

यहां यह भी बताना उल्लेखनीय होगा कि पंद्रहवें वित्त आयोग की वर्तमान वर्ष की 8923.8 करोड़ रुपए की अबद्ध अनुदान की पहली किश्त राज्यों को भेजी गई है। उस धनराशि का उपयोग विशेष परिस्थिति के चलते ग्राम पंचायतें कोविड–19 की रोकथाम एवं उससे निपटने के लिए किया जा सकता है। इस राशि के प्राप्त होने से गांव अब कोरोना के खिलाफ ज्यादा सशक्तता से खड़े हो पाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस राशि का उपयोग मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर/कंस्ट्रेटर जैसे आवश्यक उपकरणों की खरीद में भी किया जा सकता है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केदारवाला ग्राम पंचायत (उत्तराखण्ड) में

पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत बद्ध अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि का उपयोग गांवों स्वच्छता एवं गांवों की ओडीएफ स्थित को बहाल रखने के लिए रखरखाव, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि कार्यों में ही किया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो स्वच्छ गांव ही स्वस्थ गांव की आधारशिला रखेंगे और कोविड–19 के खिलाफ यह राशि इस उद्देश्य में उपयोगी सहायक सिद्ध होगी। पंचायतों को कोरोना से लड़ने के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की धनराशि के अनुदान के अतिरिक्त एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के माध्यम से भी धनराशि प्रदान की जा सकती है। कोरोना के संकटकाल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गांवों के प्रति अत्यधिक चिंता उनके द्वारा विगत एक वर्ष में किए गए प्रयासों से स्पष्ट हो जाती है।

15वें वित्त आयोग के माध्यम से गांवों तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने का हमारा संकल्प सिद्ध होता नजर आता है। गांवों में स्वास्थ्य के लिए अधोसंरचना भी इन संसाधनों से परिपूर्ण होगी। स्वस्थ, सक्षम, सुविधाओं से युक्त गांव एक समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला बनेंगे।

ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड 19 की रोकथाम - व्यावहारिक एजेंडा

–डॉ. आर. रमेश*

कोविड–19 वायरस को लेकर सबसे दुरूह स्थिति यह है कि इसने हमें 'कैच 22 सिचुएशन' में डाल दिया है। यह सीधे 'जीवन' और 'आजीविका' पर असर डाल रहा है। हम इन दोनों में से एक के बदले दूसरे का चुनाव नहीं कर सकते। एक ग्राम सरपंच के नजरिये से हमारा प्राथमिक लक्ष्य आजीविका की रक्षा करना और इसका दायरा बढ़ाना है ताकि ग्रामीण परिवारों को आय का स्थायी जरिया उपलब्ध कराया जा सके। इसके साथ ही इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आजीविका का सवाल तभी उठता है जब व्यक्ति का 'जीवन' बचा रहे। इस बात को लेकर कोई बहस नहीं हो सकती कि जीवन महत्वपूर्ण है या आजीविका। निश्चित रूप से जीवन बचाना तात्कालिक आवश्यकता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आजीविका का प्रश्न टाला जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि यदि एक आवश्यकता तात्कालिक महत्व की है तो दूसरी लघु से मध्यम अवधि के महत्व की है।

कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये अतिरिक्त संसाधन

भारत में कोविड 19 महामारी की पहली लहर ने शहरी क्षेत्रों में जनजीवन और कारोबार दोनों को ठप्प कर दिया था। जब जीवन वापस पटरी पर लौटने लगा तो दूसरी लहर ने गांवों को भी अपनी चपेट में ले लिया। ग्राम पंचायतों ने कोरोना की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अनेक ग्राम पंचायतों ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों के वापस लौटने पर उत्पन्न रोजगार की समस्या से निपटने में किये गये सराहनीय कार्यों का ब्यौरा दिया है। कई ग्राम पंचायतों ने कोरोना की रोकथाम तथा गांवों में प्रवासी कामगारों के परिवारों के लिये काम और भोजन की व्यवस्था में बढ़चढ़ कर भाग भी लिया। आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों से वापस लौटे श्रमिकों के लिये काफी मददगार साबित हुए। अनेक ग्राम पंचायतों ने मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त राशि को सार्थक उपयोग में लगाया और प्रवासी कामगारों तथा मजदूरी पर निर्भर रहने वाले स्थानीय निर्धनों के लिये रोजगार सृजित किये।

वर्ष 2020–21 के दौरान जारी पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि महामारी की रोकथाम में पंचायती राज संस्थाओं के लिये अतिरिक्त संसाधन है। भारत में प्रत्येक ग्राम पंचायत को पंद्रहवें वित्त आयोग आवंटन के तहत अतिरिक्त संसाधन मिल रहा है जो अगले चार वर्ष तक जारी रहेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त यह राशि 60:40 के अनुपात में बद्ध और अबद्ध व्यय के रूप में उपयोग की जा सकती है। इसका अर्थ हुआ कि 60% राशि जल और स्वच्छता से संबंधित व्यय के लिये और 40% अबद्ध व्यय के लिये जिसे ग्रामसभा विकास एजेंडे के किसी भी कार्य पर खर्च कर सकती है जिसे वह आवश्यक/महत्वपूर्ण मानती है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान की एक अन्य विशेषता है कि ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत को भी वित्तीय संसाधन मिलते हैं। यह राशि ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक प्रबंधन इकाई स्थापित करने पर होने वाले खर्च, या जिला स्तर पर सीवेज़ उपचार संयंत्र लगाने जैसे कार्यों पर आने वाले व्यय के लिये है जिसे पंचायती राज संस्था की संबंधित इकाई द्वारा किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं का विस्तारित दायित्व

पंचायती राज संस्थाएं और विशेष रूप से ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिये उत्तरदायी हैं, जैसे ग्रामीण रोजगार के अवसर सृजित करना, लघु उद्योग लगाना, आजीविका के विविध विकल्प तलाशना, कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्थानीय विद्यालय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता गतिविधि संबंधी कार्यों की निगरानी तथा ऐसे ही

*एसोसियेट प्रोफेसर, सीआरआई, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर)

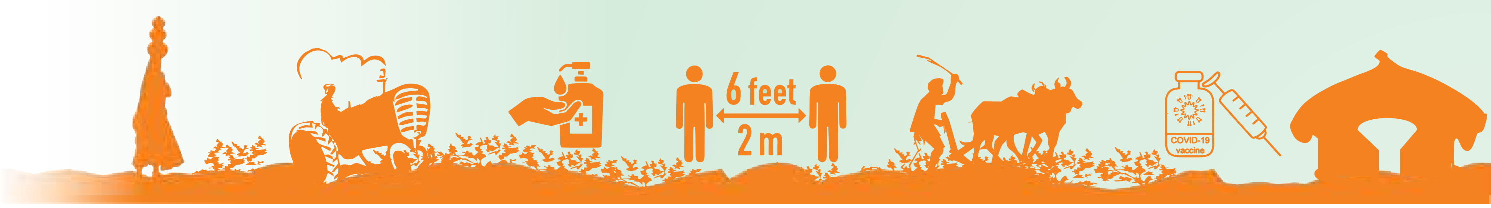

अन्य कार्य। कोविड महामारी ने नयी जिम्मेदारियां जोड़ी हैं। इनमें महामारी की रोकथाम के लिये टीकाकरण अभियान, ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों को नियमित रूप से संक्रमण रहित करना, वृद्ध जन की विशेष देखभाल, तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जारी मानक संचालन प्रक्रिया लागू करना शामिल है।

ग्राम पंचायतों के लिये व्यावहारिक कार्य एजेंडा

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है हमारा उद्देश्य क्रियान्वयन पर विचार विमर्श के लिये – ग्राम पंचायतों के नियमित विकास एजेंडे के अलावा – ग्राम पंचायतों के लिये एक व्यावहारिक एजेंडा तय करना है। संभव है कि कुछ ग्राम पंचायतें यहां दिये गये सुझावों में से कुछ को पहले से ही लागू कर रही हों। यह लेख ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत पदाधिकारियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों तथा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने और सामान्य जनजीवन बहाल करने के लिये ग्राम पंचायतें कौन सी गतिविधियां चला सकती हैं संबंधी अनुदेशों के आधार पर तैयार किया गया है। यहां सूची दी गयी है जिनमें से ग्राम पंचायतें गतिविधियों का चुनाव कर सकती हैं। यह कोई निर्देशात्मक सूची नहीं है। यह केवल सुझाव सामने रखती है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पंद्रहवें वित्त आयोग ने संयुक्त कोष उपलब्ध कराया है और दूसरी वजह यह कि हमारा उद्देश्य इस महामारी से निपटना है और इसके कारण गांव के निर्धन और वंचित लोगों को होने वाले नुकसान से बचाना है।

इससे पहले कि मैं सूची की शुरूआत करूँ, पाठकों को एक बार फिर याद दिला दूं कि इन सुझावों पर अमल के लिये आवश्यक संसाधन पंद्रहवें वित्त आयोग कोष से होंगे और विशेष ध्यान महामारी से निपटने पर होगा। कुछ लक्ष्य तात्कालिक महत्व के हैं, कुछ मध्यम अवधि में ध्यान केंद्रित किये जाने योग्य और अन्य दीर्घावधि आवश्यकता हैं।

1. **टीकाकरण अभियान–** आप तब तक सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे जब तक कि आपको यह भरोसा न हो कि आपके संक्रमित होने की पक्के तौर पर कहीं कोई संभावना नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब तक प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित न हो, कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। हम सभी तभी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं जब हममें से प्रत्येक को संक्रमणरोधी टीका लग चुका हो। जितनी जल्दी संभव हो देश के प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण हो जाना चाहिये। यदि हम कोरोना की तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो इसका एकमात्र उपाय है हर एक का टीकाकरण। प्रत्येक ग्रामसभा को 'कोई भी न छूटे' का सिद्धांत अपनाते हुए जितनी जल्दी हो सके एक अभियान के रूप में यह लक्ष्य पूरा करना होगा। ऐसे व्यापक टीकाकरण अभियान पर होने वाला व्यय पंद्रहवें वित्त आयोग की निधि से पूरा किया जा सकता है।

2. **ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया** (एसओपी) लागू करना – स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसे 'ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 रोकथाम और प्रबंधन 'एसओपी' के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायतों और स्वास्थ्य केंद्रों को यह एसओपी लागू करने के हर संभव उपाय करने चाहिये। एसओपी में एहतियाती उपायों के बारे में निर्देश, महामारी की रोकथाम के लिये सामुदायिक उपायों की सूची, सफाई और संक्रमणमुक्त किये जाने वाले स्थल, महामारी किस पैमाने पर है और कितनी बार लहर आई, ग्राम पंचायतों में सेवारत मानव संसाधन, और संभव सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संबंधी संवाद रणनीति जैसे पक्ष शामिल होते हैं। नियमित साफ–सफाई और संक्रमणमुक्त किये जाने के काम पर खर्च आ सकता है। इन खर्चों के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग की निधि उपयोग में लायी जा सकती है।

3. **स्थानीय स्वास्थ्य समिति–** प्रत्येक ग्राम पंचायत अपनी एक स्थानीय स्वास्थ्य समिति गठित करें, यदि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है तो इसमें स्थानीय स्वसहायता समूहों, यूथ क्लब के सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामपंचायत के प्रतिनिधि होंगे। ये प्रत्येक माह के लिये गतिविधियां तय करेंगे और कोविड 19 की रोकथाम के लिये निर्धारित गतिविधियों की प्रगति पर निगरानी रखेंगे। यदि यह समिति संभावित गतिविधियों का आयोजन करती है और इनपर व्यय आता है तो इसे पंद्रहवें वित्त आयोग की निधि से पूरा किया जा सकता है।

4. **आजीविका में विविधता** – कोविड महामारी के कारण अनेक लोगों की आजीविका छिन गयी है और छोटे व्यवसाय बंद हो गये हैं। ऐसे अनेक सरकारी विभाग और योजनाएं हैं जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को दूसरी आजीविका अपनाने में मदद मिल सकती हैं। आजीविका मिशन, कौशल मिशन, स्वच्छ भारत

मिशन– ग्रामीण, जलजीवन मिशन जैसे अभियान हैं जो महामारी के कारण प्रभावित हुए आजीविका स्रोतों को बहाल करने/बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं। इस तथ्य को हम एक रूपरेखा चित्रित कर दर्शा/स्पष्ट कर सकते हैं। कहा जाता है कि कोरोना वायरस की ताकत उसका अपना स्वरूप बदलने की क्षमता में है। वायरस की इसी विलक्षणता ने चिकित्सकों को असमंजस में डाल दिया और वे न तो इसे खत्म करने में समर्थ हो पाये और न ही उपचार प्रक्रिया निर्दिष्ट कर पाने में। म्यूटेशन यानी वायरस का स्वरूप बदलने की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से संरचनात्मक बदलाव निहित होता है। कोरोना वायरस से निपटने के लिये भी संरचनात्मक बदलाव और सरकार के विभिन्न विभागों के बीच पुनःप्रबंधन आवश्यक है। यह तालमेल महत्वपूर्ण प्रतिरोधी सूत्र है जिसे हमें तय करना है।

5. **स्वच्छ कचरा प्रबंधन–** ठोस कचरे का निष्पादन ग्रामीण क्षेत्रों में भी गंभीर समस्या बन गया है। इस्तेमाल किये गये मास्क तथा सेनेटरी नैपकिन और डायपर इत्यादि का निपटान स्थानीय स्वास्थ्य उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा कचरे के साथ जला कर किया जाना चाहिए। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पर्यावरण अनुकूल (धूम्र रहित) भट्ठी की व्यवस्था नहीं है तो ग्राम पंचायत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को इसे खरीदने में मदद दे सकती है जिसमें चिकित्सा कचरे के साथ–साथ साफ–सफाई से निकले कचरे का सुरक्षित निष्पादन किया जा सके। यदि ग्राम पंचायत भट्ठी खरीदने का निर्णय लेती है तो 15वें वित्त आयोग की निधि का इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है। भठ्ठी खरीदते समय ग्राम पंचायत को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा–निर्देशों का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने प्रदूषण पैदा करने वाली भट्ठियों के कुछ मॉडल प्रतिबंधित कर दिए हैं।

6. **नालों की साफ–सफाई और समुचित निपटान–** अक्सर लोग कचरा और कूड़ा अपने घर के आस–पास के खुले नाले में बहा देते हैं। जहां तक संभव हो खुले नाले को उचित स्लैब से ढक कर रखा जाना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे खोलने और सफाई करने की सहूलियत रहे। ऐसे नालो की निर्धारित अंतराल पर साफ–सफाई आवश्यक है। अवजल के अंतिम निपटान के समय उसका पुनःचक्रण किया जा सकता है और इसका उपयोग बागवानी, सार्वजनिक स्थलों का हरा भरा रखने या स्कूलों/आंगनवाडियों के वॉशरूम और शौचालयों में किया जा सकता है। यदि अवजल का अंतिम निपटान गैर वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है तो इसके वैज्ञानिक पुनःचक्रण और पुनः उपयोग व्यवस्था के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि उपयोग की जा सकती है। कई पेशेवर सेवा प्रदाता भी हैं जो ऐसी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ग्राम पंचायते ऐसी एजेन्सियों से सेवा अनुबंध कर यह सुविधा ले सकती हैं। इसी प्रकार यदि कुछ मकान अलग–थलग और दूरी पर हैं तो बेकार पानी को जमीन के अंदर जाने देने के लिए निक्षालन गड्ढ़े बनाये जा सकते है। इनका निर्माण 15वें वित्त आयोग की राशि के साथ–साथ संबंधित घरों के वित्तीय सहयोग से किया जा सकता है। ऐसे कामो के लिए मनरेगा से श्रमिको को लगाये जाने का भी प्रावधान किया गया है।

7. **विद्यालय/आंगनवाडी में शौचालय और जलापूर्ति/जल निकासी व्यवस्था को दुरूस्त करना–** विभिन्न राज्यों में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज किये जाने के साथ यह आशा है कि देश कुछ महीनों में ही इस महामारी पर जीत हासिल कर लेगा। स्कूलों और आंगनवाडी केन्द्रों में ऑनलाईन विकल्प की जगह सामान्य कामकाज और पढ़ाई–लिखाई शुरू होने की प्रक्रिया भी कुछ राज्यों में प्रारम्भ हो गई है। यह समय है कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्कूलों और आंगनवाडी केन्द्रों में जाकर शौचालयों और जलापूर्ति व्यवस्था की स्थिति देखें। यदि ये समुचित उपयोग लायक स्थिति में नहीं है तो ग्राम पंचायते इनकी मरम्मत के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का

उपयोग कर सकती हैं ताकि स्कूल और आंगनवाडी के फिर खुलने तक ये सुविधाएं दुरूस्त हो जाएं।

8. **स्वच्छ और स्वस्थ जीवन के लिए पौधरोपण–** कोविड–19 महामारी ने हमें एक सबक दिया है कि ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए कितना जरूरी है और यदि हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करते हैं तो मेडिकल स्टोर से ऑक्सीजन खरीदना कितना दुरूह और मंहगा पड़ सकता है। इसलिए यह उचित समय है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, विद्यालय, आंगनवाडी और अन्य ग्रामीण संस्थाएं पौधरोपण अभियान को महत्व दे। इस दिशा में स्थानीय लोगों को सक्रिय करने के लिए ग्राम पंचायत पहल कर सकती है। वर्षा ऋतु इस कार्य के लिए और नर्सरी लगाने के लिए सर्वोत्तम समय है। इस दौरान हर सार्वजनिक भूमि पर पौधे लगाये जा सकते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा कम से कम एक वर्ग किलोमीटर (औसतन) को हराभरा बनाना हरित क्षेत्र के निर्माण और स्वस्थ जीवनशैली में बहुत बड़ा योगदान होगा। यह काम मिशन मोड में किया जाना चाहिए। नर्सरी और फलदार वृक्षों के पौधे 15वें वित्त आयोग की निधि से लगाये जा सकते है। मनरेगा श्रमिकों को तीन–चार वर्ष की अवधि के लिए इन पौधों को पानी देने और इनका सुरक्षित विकास सुनिश्चित करने में नियमित रूप से नियोजित किया जा सकता है। तेलंगाना में ग्राम प्रचायतों ने पूरे राज्य में यह काम बड़ी सफलता से किया है।

9. **रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों का निःशुल्क वितरण–** अभी कुछ स्थानीय लोग और कंपनियाँ, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत व्यापक अभियानों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ निःशुल्क दे रहे है। ये सिलसिला बंद हो जाने पर भी ग्राम पंचायते 15वें वित्त आयोग की राशि से समाज के वंचित वर्गो को ऐसी सामग्री निःशुल्क वितरित कर सकती हैं।

10. **दिव्यांग और वृद्धजनों को सहयोग सहायता–** प्रत्येक गांव में वृद्धजनों के अलावा कुछ दिव्यांग जन भी होते हैं। संभव है कि ऐसे परिवारों में आय अर्जित करने वाला एकमात्र सदस्य प्रवासी कामगार के रूप में घर लौटा हो और यहां बेरोजगार हो। ऐसे में ग्राम पंचायत इन परिवारों/ बेसहारा विधवाओं/ वृद्ध जनों को आवश्यक अनाज आपूर्ति की व्यवस्था कर सकती है। इसके लिए भी 15वें वित्त आयोग की राशि उपयोग में लायी जा सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भूखा न रहे।

11. **अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना–** कोरोना महामारी से निपटने में चिकित्साकर्मी, अर्ध–चिकित्साकर्मी और स्थानीय सफाईकर्मियों के योगदान की सराहना करना और उन्हें समुचित प्रोत्साहन देना आवश्यक है। इन सहायता कर्मियों के पिरामिड के सबसे निचले स्तम्भ सफाई कर्मियों को जिला चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय चिकित्सा अधिकारी और प्रखण्ड विकास पदाधिकारियेां के हाथों पुरस्कार दिये जा सकते है। यह पहल उन्हें अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

12. **स्वैच्छिक कार्यों की सराहना–** युवा स्वयंसेवको को गांव की सफाई या स्वास्थ्य और टीकाकरण अभियान संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इन गतिविधियों में ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों के बारे में निबंध लिखना या कोविड–19 की रोकथाम के उपायो के बारे में चित्रों और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन करना भी शामिल हो सकता है। इसमें मोबाइल से वीडियो सम्पादन, सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए लघु फिल्में बनाने का काम भी शामिल हो सकता है।

15वें वित्त आयोग की राशि ग्राम पंचायतों के लिए एक अतिरिक्त संसाधन है। यह उन्हें विभिन्न गतिविधियों के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देती है। महामारी की समुचित रोकथाम, निर्धनों को इसकी वजह से होने वाली मुश्किलों से बचाना और उनकी आजीविका को वापस बहाल करना आज के समय की आवश्यकता है। ग्राम पंचायते इस मुद्दे की अनिवार्यता को समझते हुए मदद के लिए आगे आ सकती है और जरूरत के अनुसार सहयोग कर सकती हैं। पूरा राष्ट्र तभी कोरोना मुक्त हो सकेगा जब प्रत्येक ग्राम पंचायत इस महामारी से मुक्त हो जाएगी।

कोविड-19 संकट के दौरान खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता

– खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
(कम्प्यूटरीकरण प्रकोष्ठ, सार्वजनिक वितरण प्रभाग*)

कोविड संकट के दौरान तीव्र गति और बड़े पैमाने पर व्यापक जन समुदाय के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का भारत का अनुभव पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। ऐसे समय में जब परिवहन और नियमित खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला/बाजार व्यवस्था बुरी तरह बाधित थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अत्यंत मददगार साबित हुई और इसने उचित मूल्य की दुकानों के अपने व्यापक नेटवर्क तक राशन पहुंचाने और इसे वास्तविक लाभार्थियों को वितरित कर उन्हें महामारी के संकट से बचाने में मदद की। इसके अलावा संकट के समय का उपयोग एक अवसर के रूप में किया गया और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का प्रबंध संभव हो सका। यह प्रणाली देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ लोगों तक रियायती दर पर खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था करती है। यहां हम कोविड–19 संकट के दौरान सरकार के खाद्य सुरक्षा प्रबंधन का ब्यौरा उपलब्ध कराने के साथ ही इस पहल को और मजबूत करने में पंचायत राज संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाल रहे हैं।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई)

कोविड–19 महामारी के दौरान प्रौधगिकी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने देश में राहत अभियानों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिये सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 80 करोड़ लाभार्थियों को मासिक अनाज आपूर्ति की मात्रा लगभग दुगुनी कर दी। इन लाभार्थियों को अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई)/प्रायोरिटी हाउस होल्डर (पीएचएच) कार्ड (35 किलोग्राम प्रति एएवाई परिवार और 5 किलोग्राम प्रति पीएचएच व्यक्ति प्रतिमाह) के अलावा प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। आरम्भ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत यह अतिरिक्त निःशुल्क लाभ तीन महीनों (अप्रैल से जून, 2020) के लिए दिया गया। बाद में संकट जारी रहने

गोवा में आवश्यक सतर्कता और एहतियाती उपायों का पालन करते हुए उचित मूल्य की दुकानों से ख़ाद्यान वितरण

*खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से प्राप्त जानकारी

नगालैण्ड में आवश्यक एहतियाती उपाय बरतते हुए उचित मूल्य की दुकानों से ख़ाद्यान्न वितरण

पर यह सहायता पाँच महीनों के लिए (जुलाई से नवम्बर, 2020) बढ़ा दी गई। महामारी की दूसरी लहर शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ और दो महीनों के लिए (मई और जून, 2021) किया गया, जिसे बाद में नवम्बर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अप्रैल से नवम्बर, 2020 तक इस योजना के तहत कुल सबसिडी 1 लाख 6 हजार करोड़ रूपये और फिर मई से जून, 2021 तक यह सबसिडी 26 हजार करोड़ रूपये की रही।

अप्रैल से लेकर नवम्बर, 2020 तक के 8 महीनों के दौरान औसतन 93 प्रतिशत से 94 प्रतिशत अनाज का सफल वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रतिमाह किया गया। इस दौरान कोविड संबंधी सभी एहतियाती उपाय और दिशा–निर्देशों के पालन में सख्ती, लॉकडाउन, कन्टेनमेन्ट जोन और अन्य अनेक चुनौतियों के बावजूद खाद्यान्न वितरण समुचित ढंग से किया गया। मई और जून, 2021 के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन के दौरान राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के द्वारा 4 जून, 2021 तक मई महीने के लिए पीएम–जीकेएवाई के तहत 70 प्रतिशत से अधिक अनाज आवंटन और नियमित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 90.2 प्रतिशत तथा जून महीने के लिए पीएम–जीकेएवाई के अन्तर्गत 4 प्रतिशत और एनएफएसए के अन्तर्गत 12.8 प्रतिशत खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका था।

आत्म निर्भर भारत योजना (एएनबीएस)

महामारी के दौरान देश भर में प्रवासी कामगारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, विशेषकर उन कामगारों के लिए जो लॉकडाउन की अवधि में फंस गये थे, मई, 2020 में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरूआत की। इसके तहत प्रवासी कामगारो/फंसे हुए प्रवासी कामगारो और अन्य जरूरतमंदों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या राज्य की सार्वजनिक वितरण योजना के तहत बिना राशन कार्ड के 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया गया।

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत केन्द्र सरकार ने उदारता से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को दो महीने – मई और जून, 2020 के लिए अनाज आवंटित किया ताकि राज्यों के विशेष तंत्र और लाभार्थी की पहचान संबंधी तंत्र का दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक संख्या में जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। कई राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों ने उद्योग संघों, गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी इत्यादि की मदद से श्रमिक शिविरों, पृथकवास केन्द्रो, आश्रय गृहों, प्रमुख राजमार्गों/बदलाव मार्गो इत्यादि पर विशेष अभियान चलाया और मई, 2020 से अगस्त, 2020 तक प्रवासियों और जरूरतमंदों को अनाज वितरित किया। परिणामस्वरूप प्रवासी/फंसे कामगारों की अनुमानित संख्या 2 करोड़ 80 लाख की तुलना में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा लगभग 2 करोड़ 74 लाख लोगों को (98 प्रतिशत) को आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी)

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने कोविड महामारी के दौरान न केवल पीएम–जीकेएवाई और एएनबीएस के तहत सफल खाद्यान्न वितरण किया, बल्कि यह प्रणाली प्रौद्योगिकी रूप से एक मजबूत तंत्र के रूप

गुजरात में आवश्यक एहतियाती उपाय बरतते हुए उचित मूल्य की दुकानों से ख़ाद्यान्न वितरण

में उभरी जिसके जरिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाखों प्रवासी लाभार्थियों/परिवारों तक सफलता से पहुंचा जा सका। अधिकांश राज्यों में वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONO RC) योजना क्रियान्वित की गई। कोविड संकट के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जी के प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली सुधारों से सरकार ने तेजी से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की। अभी वर्तमान में देश के 32 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में यह सुविधा उपलब्ध है और इसके तहत लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों (86 प्रतिशत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी) तक सुविधा पहुँचायी जा रही है। इनमें से औसतन 1 करोड़ 35 लाख पोर्टेबिलिटी ट्रान्जैक्शन प्रति माह (अर्न्तराज्य ट्रान्जैक्शन सहित) हुआ है।

एक राज्य, एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी लाभार्थी को मूल दस्तावेज (राशन कार्ड/आधार कार्ड) लाने या किसी कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। वे केवल नजदीक के इलेक्ट्रोनिक पोर्टेबिलिटी सुविधा सक्षम उचित मूल्य की दुकान पर जाकर आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के बाद अपना मौजूदा राशन कार्ड या आधार नम्बर देकर सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने एन्ड्रॉयड मोबाईल ऐप "मेरा राशन" की भी शुरूआत 10 भाषाओं – अंग्रेजी, हिन्दी, उडिया, पंजाबी, तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती और मराठी में की है जिसका उपयोग प्रवासी लोग देश के किसी भी भाग में नजदीकी उचित मूल्य की दुकान का पता लगाने में कर सकते

सिक्किम में आवश्यक सतर्कता और एहतियाती उपायों का पालन करते हुए उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण

हरियाणा में आवश्यक सतर्कता और एहतियाती उपायों का पालन करते हुए उचित मूल्य की दुकानों से ख़ाद्यान्न वितरण

हैं। वे इस एप्लिकेशन का उपयोग अपनी उपलब्ध मासिक पात्रता, आधार स्थिति, पिछले लेन–देन का ब्यौरा और अपनी आईएमपीडीएस पात्रता स्थिति इत्यादि की जांच के लिए कर सकते हैं। इस मोबाईल ऐप के जरिये लाभार्थियों और उचित मूल्य की दुकान के डीलरों के द्वारा फीडबैक और शिकायतें भी दर्ज की जा सकती हैं।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना कोरोना से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण मददगार साबित हुई है। इससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों, विशेषकर प्रवासी लाभार्थियों को देश की किसी भी उचित मूल्य की दूकान से अपनी पात्रता का लाभ प्राप्त करना संभव हुआ है। इससे कोविड–19 महामारी के दौरान अप्रैल, 2020 से मई, 2021 तक एनएफएसए लाभार्थियों के लिए मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध करायी जा सकी है। इस दौरान देश के राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना के तहत लगभग 19 करोड़ 80 लाख पोर्टेबिलिटी ट्रान्जैक्शन यानि किसी भी स्थान के लाभार्थी को किसी अन्य स्थान पर सुबिधा मिलना सुनिश्चित हुआ है।

लाभार्थियों को जागरूक करने एवं सुविधा वंचित लोगों के समावेशन में पंचायतों की भूमिका

एनएफएसए/पीएम–जीकेएवाई और ओएनओआरसी जैसी प्रौद्योगिकी पहल के सफल उपयोग के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार और जागरूकता अभियान एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे समझते हुए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारे इसके प्रचार–प्रसार के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा उचित मूल्यों की दुकानों और अन्य प्रमुख स्थलों पर प्रचार समाग्री लगाने सहित कई उपाय कर रही

त्रिपुरा में आवश्यक एहतियाती उपाय बरतते हुए उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण

हैं। ये प्रचार सामग्री ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पंचायत कार्यालयों में भी प्रमुखता से प्रदर्शित की जा सकती है इसके अलावा पंचायती राज संस्थान में स्थानीय लोगों के बीच इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। पंचायती राज संस्थाएं ओएनओआरसी के लिए 14445 और पीडीएस के लिए 1967 टोल–फ्री नम्बर के बारे में भी जागरूकता बढ़ा सकती है।

उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों के प्रवासी लाभार्थी ''एक राष्ट्र एक राशन कार्ड'' योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये खाद्याान्न प्राप्त करते हुए

चूंकि पीएम–जीकेएवाई और ओएनओआरसी जैसी महत्वपूर्ण पहल केवल एनएफएसए राशन कार्ड धारकों के लिए है, इसलिए ये सरकार की प्राथमिकता है कि सुविधा वंचित और कमजोर वर्ग के सभी पात्र लोगों को एनएफएसए राशन कार्ड जारी करना सुनिश्चित किया जाए। इस बारे में सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि एनएफएसए सीमा के उपलब्ध दायरे का उपयोग करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र लोगों तक पहुंचा जा सके और उन्हें राशन कार्ड जारी किया जा सके। इस क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें महत्वपूर्ण सहयोग उपलब्ध करा सकती हैं और समाज के सुविधा वंचित और कमजोर वर्गों के छूट गये लोगों को योजना के दायरे में ला सकती है।

स्थानीय ग्रामीण निकायों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान और कोविड-19 प्रबंधन में इसका योगदान

– पंचायती राज मंत्रालय*

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन—ग्राम पंचायतें और शहरी क्षेत्र में नगरपालिकायें जमीनी स्तर पर लोगों के सबसे नजदीक है। वे सड़क, पानी, साफ—सफाई तथा प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं।

वित्त आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के लिए एक संवैधानिक निकाय है। ग्राम पंचायत और शहरी नगरपालिका जैसी स्थानीय सरकार भारतीय शासन प्रणाली में तीसरा एवं सबसे महत्वपूर्ण स्तर हैं, पहला स्तर केन्द्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार हैं। परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आंकलन के आधार पर वित्त आयोग संस्तुति करता है कि केन्द्रीय कर पूल से इन सरकारों को कितना—कितना अंश मिलना चाहिए।

भारतीय संविधान की धारा 280(3) (बीबी) के अन्तर्गत केन्द्रीय वित्त आयोग को संबंधित पचांयतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि की अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें 10वें वित्त आयोग (अवधि 1995—2000) से शुरू हुई थीं। 12वें वित्त आयोग (अवधि 2005—2010), तक स्थानीय ग्रामीण निकायों को एकमुश्त हस्तांतरित की जाती रही, इस राशि का ब्यौरा तालिका—1 में दिया गया है।

13वें वित्त आयोग ने एकमुश्त राशि दिये जाने के स्थान पर पंचायती राज संस्थान के सभी तीन स्तरों को विभाज्य पूल से एक निश्चित प्रतिशत प्रदान करने की अनुशंसा की, जैसे (क) पूल का 1.5 प्रतिशत तक प्राथमिक अनुदान (ख) प्रदर्शन अनुदान।

14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायातों के लिए 2,00,292.20 करोड़ रूपये की सिफारिश की अर्थात समुच्चय स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 488 रूपये का अनुदान जारी किया गया। 14वें वित्त आयोग (अवधि 2015—2016 से 2019—2020) के दौरान राज्यों को 183248.54 करोड़ रूपये जारी किये गये, जो 13वें वित्त आयोग की अवधि में जारी राशि से तीन गुणा से भी अधिक थी।

15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2020—21 के लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट और 2021—2026 के लिए अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। भारत सरकार ने स्थानीय निकायों के संदर्भ में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें अक्षरशः स्वीकार कर ली हैं। 15वें वित्त आयोग ने स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए प्राथमिक (अबद्ध) और बद्ध अनुदानों की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग की अनुदान सहायता गैर अनुसूची IX राज्यों तथा पाँचवी और छठी अनुसूची के क्षेत्रों के पारंपरिक निकायों सहित पंचायती राज के सभी स्तरों को आवंटित की गई है। यह अनुदान दो भागों में : (i) प्राथमिक (अबद्ध) अनुदान (2020—21) के लिए 50 प्रतिशत और 2021—22 से 2025—26 के लिए 40 प्रतिशत) तथा (ii) बद्ध अनुदान (2020—21 के लिए 50 प्रतिशत तथा 2021—22 से 2025—26 के लिए 60 प्रतिशत) रहेगा। प्राथमिक अनुदान, या अबद्ध अनुदान का उपयोग स्थानीय ग्रामीण निकायों द्वारा संविधान की 11वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 29 विषयों के तहत, वेतन और अन्य प्रतिष्ठानगत लागत को छोड़कर, स्थान विशेष की आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है। हालांकि राज्य

तालिका—1: दसवें से बारहवें वित्त आयोग तक अनुशंसा के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित राशि

वित्त आयोग	अवधि	आवंटन करोड़ रूपये में	जारी राशि करोड़ रूपये में
दसवाँ	1995-2000	4,380.93	3,576.35
ग्यारहवाँ	2000-2005	8000.00	6601.85
बारहवाँ	2005-2010	20,000.00	18,926.79

*पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

आन्ध्र प्रदेश की पंचायतों में कोविड रोकथाम उपाय

सरकार द्वारा स्वीकृत बाहरी एजेन्सियों द्वारा लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक व्यय भी इस अनुदान से किया जा सकता है। बद्ध अनुदानों का उपयोग प्राथमिक सेवाओं (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त दर्जा बनाये रखने के लिए किया जाना है और इसमें घर से निकलने वाले कचरे, और मानव मल और सीवेज़ प्रबंधन विशेष रूप से शामिल होना चाहिए। (ख) पेय जल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनःचक्रण के लिए निश्चित किया गया है। स्थानीय ग्रामीण निकाय जहां तक संभव हो सके बद्ध अनुदानों का आधा हिस्सा इन दो महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए निर्दिष्ट करेंगे। हालांकि यदि कोई ग्रामीण स्थानीय निकाय एक श्रेणी की आवश्यकताएं पूरी तरह पूर्ण कर लेता है और उसे इसके लिए और राशि की जरूरत नहीं है तो वह अन्य श्रेणी के लिए इस राशि का उपयोग कर सकता है। संबंधित ग्राम सभा इसे अभिप्रमाणित करेगी और पंचायत/पारंपरिक निकाय या राज्य सरकार के निरीक्षण पदाधिकारी इसकी पुष्टि करेंगे।

वित्त वर्ष 2020–21 में स्थानीय ग्रामीण निकाय के लिए 15वें वित्त आयोग अनुदान की कुल राशि 60,750 करोड़ रूपये तथा 2021–22 से 2025–26 की अवधि के

कर्नाटक की पंचायतों में कोविड जागरूकता उपाय

लिए 2,36,805 करोड़ रूपये है। केन्द्र द्वारा जारी 15वें वित्त आयोग की अबद्ध और बद्ध अनुदान राशि राज्यों द्वारा राज्य वित्त आयोग (एकएफसी) की नवीनतम सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के सभी स्तरों को वितरित की जानी चाहिए और यह 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुसंशित निम्नलिखित निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए।

- ग्राम पंचायतों के लिए 70–85 प्रतिशत
- खण्ड/मध्यवर्त्ती पंचायतों के लिए 10–25 प्रतिशत
- जिला पंचायतों के लिए 5–15 प्रतिशत
- ग्राम और जिला पंचायत वाली द्विस्तरीय प्रणाली के राज्यों में यह वितरण ग्राम पंचायतों के लिए 70–85 प्रतिशत और जिला पंचायतों के लिए 15–30 प्रतिशत होगा।

मौजूदा महामारी की चुनौती को देखते हुए 15वें वित्त आयोग ने 70,051 करोड़ रूपये "स्वास्थ्य अनुदान" के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, के लिए रखे हैं। स्थानीय निकायों द्वारा पूरी की जाने वाली संबंधित गतिविधियाँ के लिए 43,928 करोड़ रूपये ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किये जायेंगे। यह अनुदान राशि स्वास्थ्य उपकेन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के तहत नैदानिक बुनियादी ढाँचे, ब्लॉक स्तर पर जन स्वास्थ्य इकाई गठित करने, भवन रहित स्वास्थ्य उपकेन्द्रो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए अनुदान तथा ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों में बदलने के लिए उपलब्ध करायी गयी है।

1. कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में ग्रामीण स्थानीय निकाय

ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा लागू जन जागरूकता अभियान और एहतियाती/रोकथाम उपाय

देश में कोविड महामारी की शुरूआत से ही पंचायते

उत्तराखण्ड में कोविड नियंत्रण हेतु संक्रमण रोधी धूमन

नगालैण्ड में कोविड रोकथाम और जागरूकता तथा प्रभावी लोगों के लिए राहत उपाय

विभिन्न एहतियाती और सुरक्षात्मक उपाय अपनाने में अग्रणी रही हैं। पंचायतों द्वारा की गयी विभिन्न पहलों में सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ, स्वच्छता/संक्रमण रोधी उपाय, सुरक्षित दूरी बनाये रखने का नियम लागू रखना, चिकित्सा शिविरों का आयोजन, जागरूकता बढ़ाने के लिए घर–घर जाकर प्रचार अभियान, स्वसहायता समूहों के सहयोग से मास्क तैयार करना, वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को वित्त आयोग अनुदान और मनरेगा कार्यों में शामिल करके उनके लिए सार्थक रोजगार का प्रावधान शामिल है।

पंचायती राज मंत्रालय ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में कोविड प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय ग्रामीण निकायों को नियमित रूप से समुचित परामर्श जारी करके महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। अभियान को गति देने के लिए पंचायती राज मंत्रालय एहतियाती उपायों के बारे मे जागरूकता बढ़ाने में स्थानीय ग्रामीण निकायों को सक्रिय करने के लिए लगातार राज्यों को निर्देश देता रहा है। ग्राम पंचायत भवन/ग्राम पंचायतों के प्रमुख स्थलों पर वॉल पेन्टिंग, बैनर, बोर्ड के जरिये और पंचायत प्रतिनिधियों को नियमित रूप से एसएमएस संदेश भेजकर सुरक्षात्मक उपायों के बारे में जागरूकता लाने का कार्य किया गया। इस अभियान का परिणाम रहा कि देश के 26 राज्यों/केन्द्र शसित प्रदेशों में ग्राम पंचायत भवन/प्रमुख स्थलों पर एहतियाती उपायों के बारे में वॉल पेन्टिंग, साइन बोर्ड, एलईडी डिसप्ले, होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर इत्यादि का व्यापक रूप से प्रभाव नजर आया। और बड़े राज्यों में इनकी संख्या औसतन 15 हजार से 30 हजार तक और इससे भी अधिक हो गयी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को प्रति सप्ताह ढाई लाख एसएमएस संदेश भेजे गए। राज्यों से ये भी रिपोर्ट मिली कि स्थानीय ग्रामीण निकायों ने त्यौहारों के समय कोविड सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए 76 लाख से अधिक एसएमएस/वाट्सएप संदेश भेजे। 2 अक्तूबर, 2020 से शुरू जन योजना अभियान अवधि का उपयोग एहतियाती उपाय अपनाने/कोविड रोधी

टीकाकरण की आवश्यकता के बारे में एक लाख 70 हजार से भी अधिक ग्राम सभाओं में संदेश भेजने में किया गया।

पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को ये भी परामर्श दिया कि पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने–अपने क्षेत्रों में अन्य स्वयंसेवको के साथ इस बारे में सहयोग करने में अग्रणी भूमिका निभा सकते है। संक्रमण रोकथाम की गतिविधियों के लिए ग्राम/वार्ड स्तरीय समितियाँ/निगरानी समितियाँ भी गठित की गयीं।

2. राज्यों में कोविड प्रबंधन के प्रमुख उपायः

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न दिशा–निर्देश के आधार पर राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड–19 का फैलाव रोकने के लिए कई उपाय किये हैं। कोविड महामारी की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए सभी राज्यों की पहल का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका–2 राज्यवार प्रमुख कोविड प्रबंधन उपाय

क्र.सं.	राज्य	प्रमुख पहल
1.	आन्ध्र प्रदेश	• कोरोना निगरानी समिति का गठन
		• ग्राम पंचायत स्तर पर मास्क के बिना प्रवेश नहीं निर्देश लागू करना।
		• समुचित साफ–सफाई तथा घर–घर जाकर निगरानी
2.	अरूणाचल प्रदेश	• सभी जिला आयुक्तों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर सेनेटाइजेशन, ग्राम निगरानी समितियों के गठन, सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना।
3.	असम	• लोगों की आवाजाही पर सख्ती से नज़र रखने के लिए ग्राम रक्षा दल और प्रवासी डेटा बेस तैयार करना।
		• स्वच्छता के लिए 15वें वित्त आयोग से अबद्ध अनुदान राशि का उपयोग।
4	बिहार	• गाँव के प्रत्येक परिवार को मास्क वितरित करना।
		• रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय तौर पर मास्क की खरीद।
		• व्यापक स्वच्छता और साफ–सफाई के लिए 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग।
5.	गुजरात	• पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्वघोषित लॉकडाउन लगाना।
		• पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और एन्टीजन परीक्षण किट के जरिये घर–घर जाकर निगरानी।
		• कोरोना रोगियों के परिवारों की मदद के लिए गांव में ग्रामयोद्धा समिति का गठन।
6.	हरियाणा	• समय–समय पर जागरूकता कार्यक्रम
		• ग्राम निगरानी समिति का गठन
		• प्रवासी कामगारों के लिए विशेष पृथकवास/क्वारंटीन केन्द्र की स्थापना
7.	हिमाचल प्रदेश	• समुचित क्वारंटीन और पृथकवास सुनिश्चित करने के लिए घर–घर जाकर निगरानी
		• स्वसहायता समूहों द्वारा मास्क की सिलाई और सभी स्थलों पर सैनिटेशन
		• कोरोना संक्रमित परिवारों के लिए राशन और चिकित्सा किट
8.	झारखण्ड	• पंचायत भवन, सरकारी स्कूल और सामुदायिक भवनों को क्वारंटीन केन्द्र के रूप में विकसित किया गया।
		• जागरूकता फैलाने के लिए गूगल मीट जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म का उपयोग किया गया।
		• सभी प्रखण्डों के लिए मैसेजिग ग्रुप बनाया गया।

9.	कर्नाटक	• ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यबल–जीपीटीएफ और ग्राम कार्यबल–वीटीएफ को मजबूत किया गया और एएनएस राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मैसूर के साथ क्षमता निर्माण का कार्य किया गया।
		• ग्राम पंचायत कार्यबल के सहयोग से सुविधा वंचित लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी गई।
10.	केरल	• संक्रमित लोगों के सम्पर्क का पता लगाने, घर में पृथकवास या क्वारंटीन में रखे गये परिवारों को मदद पहुंचाने और संबंधित सूचनाएं संप्रेषित करने की व्यवस्था की गयी
		• समुदाय के परामर्शदाता और संसाधन व्यक्तियों के साथ कुदम्बश्री सामुदायिक नेटवर्क बनाया गया
		• पृथकवास और कोविड देखभाल केन्द्रों की पहचान, तैयारी और प्रबंधन (गंभीर रोगियों की पहले चिकित्सा के आधार पर)
11.	मध्य प्रदेश	• अधिक संक्रमण वाले गांव में कंटेन्मेंट जोन (कोविड दिशा–निर्देशों के अनुसार) की स्थापना
		• गांव/ग्राम पंचायतों में उपचार करा रहे कोविड रोगियों की संख्या के आधार पर रेड/ऑरेन्ज और ग्रीन जोन तय करना
		• प्रखण्ड/जिला और राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना
12.	महाराष्ट्र	• ''मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी'' जागरूकता अभियान की पहल
		• कोरोना रोकथाम समिति का गठन
		• संक्रमण की जांच और आपात चिकित्सा आवश्यकता का घर–घर जाकर पता लगाना।
13.	नगालैण्ड	• पंचायत और लोगों के बीच मजबूत संपर्क के रूप में ग्राम परिषदें
		• ग्राम परिषद के सदस्यों के लिए समुचित प्रशिक्षण
14.	पंजाब	• अन्य राज्यों से लोगों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी
		• प्रत्येक गांव में ग्राम निगरानी समिति (वीएमसी) का गठन
		• ''रात्रिकालीन कर्फ्यू'' और ''सप्ताहान्त कर्फ्यू'' आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गांव द्वारा ठिकरी पहरा का आयोजन

15.	राजस्थान	• चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के साथ सक्रिय सहयोग, चिकित्सा किट का वितरण
		• कोविड संबंधित सभी अनुदेशों के पालन के लिए सीईओ, जिला पंचायत कार्यालय नोडल अधिकारी
		• सर्वेक्षण रिपोर्ट और चिकित्सा किट वितरण स्थिति रिपोर्ट का दैनिक आकलन
16.	सिक्कम	• समय–समय पर पंचायती राज संस्थाओं से बातचीत
		• यूट्यूब लाइव जैसे वेव आधारित माध्यमों से प्रशिक्षण सत्र
		• कोविड का फैलाव रोकने के लिए टीकाकरण
17.	त्रिपुरा	• ग्राम पंचायत स्तर पर समितियाँ
		• कोविड–19 रोकथाम के एहतियाती उपायों के पालन के लिए व्यापक जागरूकता अभियान
		• पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वित्त आयोग अनुदान के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग
18.	उत्तर प्रदेश	• साफ–सफाई को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम निगरानी समिति
		• नियमित साफ–सफाई, फॉगिंग और बुहारी के लिए प्रत्येक गांव में सफाई कर्मचारी
		• कोविड के कारण हुई मृत्यु में अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहयोग
19.	उत्तराखण्ड	• प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम निगरानी समिति का गठन
		• आवश्यक सेवाओं की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए ब्लॉक स्तर पर प्रखण्ड कार्रवाई टीम का गठन
		• चौबीसों घण्टे हेल्प डेस्क प्रणाली–पंचायती राज निदेशालय
20.	पश्चिम बंगाल	• पंचायते सीईओ, एनजीओ और स्वसहायता समूहों के साथ जागरूकता अभियान चला रही है।
		• स्थानीय बाजारों/हाटों का सुरक्षित संचालन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों को अनाज का सुचारू वितरण

3. स्थानीय निकायों द्वारा कोविड प्रबंधन के लिए 15वें वित्त आयोग (XV FC) अनुदानों का उपयोग

2020–21 के लिए आवंटन राशि 60,750 करोड रूपये में से 60,559 करोड़ रूपये (99.68 प्रतिशत) राज्यों को जारी किये जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर मई, 2021 में 25 राज्यों को 15वें वित्त आयोग के प्राथमिक अनुदान की पहली किस्त के रूप में ग्रामीण स्थानीय निकाओं के लिए 8,923.8 करोड़ रूपये की राशि जारी की। विशेष रूप से जारी की गई इस राशि का उपयोग अन्य मदों के अलावा कोविड महामारी से मुकाबले के लिए रोकथाम के विभिन्न उपायों पर भी किया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान को तो ग्रामीण स्थानीय निकायों को कोविड प्रबंधन

मिजोरम में कोविड रोकथाम और जागरूकता तथा प्रभावी लोगों के लिए राहत उपाय

के विभिन्न उपायों में मदद के लिए प्रावधानित किया ही गया है, इसके साथ ही पंचायती राज मंत्रालय ने यह भी परामर्श दिया कि 14वें/15वें वित्त आयोग अनुदान की उपलब्ध राशि का दिशा–निर्देशों के अनुरूप उपयोग के अलावा, निकायों के लिए एनडीआरएफ/एसडीआरएफ की अतिरिक्त राशि के प्राबधान की संभावना पर भी राज्यों द्वारा विचार किया जा सकता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि 15वें वित्त आयोग का प्राथमिक (संयुक्त) अनुदान, जो 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 कार्यों के तहत आने वाली जरूरतों के लिए हैं, लेकिन इनका उपयोग विशेष उद्देश्यों जैसे मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलिन्डर/कन्सनट्रेटर, कोविड देखभाल केन्द्रों और अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने जैसे कार्यों में भी किया जा सकता है। प्रखण्ड और जिला पंचायतों के पास उपलब्ध अनुदान का उपयोग सामूहिक बीमा प्रीमियम, ग्रामवासियों के टीकाकरण जैसे बड़े खर्चों में किया जा सकता है।

15वें वित्त आयोग के बद्ध अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति और साफ–सफाई के लिए भी किया जा सकता है जो कोविड महामारी का संक्रमण कम करने के उद्देश्य से स्वच्छता और स्वास्थ्य माहौल बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदानों, विशेषकर 15वें वित्त आयोग अनुदानों की उपलब्धता से स्थानीय ग्रामीण निकायों को कोविड महामारी की रोकथाम के लिए एहतियाती और प्रबंधन उपाय करने में बहुत मदद मिली। ये उपाय ग्रामीण संस्थाओं के लिए भविष्य में तीसरी लहर की आशंका की स्थिति का सामना करने में एक सुरक्षा कवच का काम करेंगे।

जम्मू कश्मीर मे बडगाम जिले के खान साहिब प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में कोविड जांच

खाद्य सुरक्षा के लिए कोविड-19 के दौरान सामुदायिक बीज नेटवर्क की भूमिका

– बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउण्डेशन*

सुख समृद्धि के लिए मूल्यवान जैव विविधता की रक्षा एक ऐसी प्राथमिकता है जिसे कभी भी टाला नहीं जा सकता है। यह तथ्य विशेष रूप से पौधों की ऐसी प्रजाति के साथ लागू होता है जहां वर्त्तमान प्राकृतिक जैव–विविधता में मानवीय हस्तक्षेप बहुत अधिक है। आनुवांशिक विविधता एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था है जिसके जरिये एक प्रजाति बायोटिक और एबायोटिक स्थिति में अपना अस्तित्व बनाये रखने में सक्षम होती है। फसल उत्पादन में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं।

भविष्य के अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा, आजीविका और छोटे किसानो के जोखिम कम करने की क्षमता बनाये रखने के महत्व को समझते हुए, नीति निर्माताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर जीन बैंक जैसी कुछ पहल की शुरूआत की है। हालांकि वास्तविकता यह है कि जीन बैंकों से बहुत सीमित उद्देश्यों की पूर्ति हुई है और ये संग्राहक कोष के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे यहां की अद्भुत जैव विविधता को बीज संग्राहको की मदद से संरक्षित और पुनर्जीवित करने का कोई तंत्र नहीं है। खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए प्रतिकूल और आपात स्थितियों में इस मूल्यवान जेनेटिक विविधता को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में उपयोग करने की भी कोई स्थापित व्यवस्था नहीं है।

कार्यक्रम के बारे में :

बीएआईएफ ने महाराष्ट्र में सामुदायिक नेतृत्व के माध्यम से संरक्षण तथा देसी फसलों की खेती के साथ ही वन्य खाद्य संसाधनों के संवर्धन एवं सरंक्षण की दिशा में पहल की है। इसका उद्देश्य फसल विविधता और इनसे संबंधित जानकारी, मार्फोजॉजी और पोषक पक्षों का वैज्ञानिक अध्ययन शामिल है। सामुदायिक सीड बैंक और समुदाय स्तर पर बीज उत्पादन को 2008 में पालघर जिले के जनजातीय प्रखण्ड जवाहर से बढ़ावा का कार्य किया गया। तथा इसके बाद 2014 से राजीव गाँधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पाँच प्रखण्डों (पालघर, अहमदनगर, पुणे, नन्दुरबार और गढ़चिरौली) में मूल्यवान फसल विविधता

न्यूट्रिशन गार्डेन बीज विविधता

के संरक्षण का प्रबंध किया गया। महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना की अवधारणा राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु प्रधान क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से जैव संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करना है। इस परियोजना के तहत महाराष्ट्र के 94 गांवों के विविध कृषि जलवायु क्षेत्रों वाले 8 समुदाय समूहों में यथास्थाने और पूर्वस्थाने स्थानीय जैव संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देना है, जैसे–फसल कटाई, पशुधन, नस्ल और वन उत्पाद प्रजातियां तथा पर्यावास अनुकुल स्थितियाँ बहाल करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 6 सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने के प्रयास किये गये हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय तौर पर गुणवत्ता पूर्ण बीज उपलब्ध कराना तथा जलवायु अनुकूल और पोषण की दृष्टि से समृद्ध फसलों को बढ़ावा देना है।

*बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउण्डेशन पुणे, महाराष्ट्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर

भौगोलिक दायरा :

क्र.सं.	जिला	प्रखण्ड	समुदाय	लक्षित फसल
1.	पालघर	जवाहर	वर्ली, कोकणा, ठाकुर	धान, रागी, छोटा बाजरा, काला चाना, नाइजर, स्थानीय सब्जियाँ
2.	अहमदनगर	अकोले	महादेव कोली	धान, रागी, छोटा बाजरा, काला चना, जलकुम्भी फली, चना, मटर, स्थानीय सब्जियाँ
3.	नन्दुरबार	धारगांव	पवारा, भील	मक्का, ज्वार फली, अरहर, चना, काला चना, स्थानीय सब्जियाँ
4.	गढ़चिरौली	एटापल्ली	मादिया और गोन्ड	धान, चना, काला चना, जलकुम्भी फली
5.	पुणे	जुनेर	महादेव कोली	धान, फली, स्थानीय सब्जियाँ
6.	कुदल	सिन्धु दुर्ग		धान, रागी, चना, लोबिया, कुलथी दाल, स्थानीय सब्जियाँ

- उपरोक्त सभी समुदायों समूहों में वन्य खाद्य पौध का दस्तावेजीकरण और संवर्द्धन शुरू किया गया है।
- कुदल एक गैर जनजातीय प्रखण्ड है जिसमें फसल और वन्य खाद्य पौधों की अद्भुत जैव विविधता है।

कोविड-19 और जनजातीय कृषि - सामने आई कठिनाइयाँ

- यह जनजातीय प्रखण्ड काफी दूरदराज में स्थित है इसलिए लॉकडाउन के दौरान परिवहन व्यवस्था पूरी तरह बंद हो गयी थी, इसके अग्रलिखित प्रभाव परिलक्षित हुए।
- कृषि संबंधी लागत (बीज, उर्वरक) और खाद्य सामग्री तक पहुंच संभव नहीं हुई।
- अतिरिक्त उपज का विपणन परिवहन सुविधाओं के अभाव में रूक गया।

बीएआईएफ कृषि जैव विविधता कार्यक्रम से खरीफ फसल के लिए बीजों की उपलब्धता में सामुदायिक बीज नेटवर्क के जरिये मदद मिली तथा दैनिक उपयोग के लिए किचेन गार्डन के जरिये सब्जियों का उत्पादन संभव हो सका।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	इकाइयों की संख्या	टिप्पणी
1.	समुदाय समुह		05	(जवाहर, अकोले, धारगांव, कुदल, एटापल्ली)
2.	फसल और कटाई (बीज प्रयुक्त)		9 फसलें और 60 फसल कटाई	धान, रागी, छोटा बाज़रा, मक्का, ज्वार की खली, जलकुम्भी फली, ट्विर, फॉक्सटेल बाजरा, सम्भात बाजरा
3.	बीज बैंक/बीज संरक्षक द्वारा गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति	क्विंटल	96	
4.	लाभान्वित परिवार		2552	बर्ली, कोकणा, महादेव कोली, मादिया, गोंड, पावारा समुदायों के सीमान्त किसान
5.	बुवाई क्षेत्र	एकड़	1372	
6.	अनुमानित उपज	टन	1645	
7.	किचेन गार्डेन किट की संख्या		4730	औसतन 15 प्रजातियाँ–पत्तेदार सब्जियाँ, फलदार सब्जियाँ, फलियाँ, इत्यादि

- जनजातीय परिवारों (बीज संरक्षक समूहों, व्यक्तिगत बीज उत्पादको) के लिए बीजों की बिक्री के जरिये आय सृजित हुई : 7.60 लाख।

स्वदेशी सब्जियों के जैविक बीज उत्पादन से उद्यमिता अवसर और पोषण सुरक्षा

– बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउण्डेशन*

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले जनजातीय ब्लॉक में जनजातीय सामुदायिक संगठन बीएआईएफ समर्थित स्वसहायता समूह ''कलसुवई परिसर बियाने संवर्द्धन एवं विकास संस्था'' की कहानी

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाव दिया था कि पोषण बढ़ाने की प्रमुख रणनीतियों में एक है – घर परिवार के स्तर पर आहार में विविधता बढ़ाना। पोषण जागरूकता कार्यक्रम दैनिक आहार में स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों और सब्जियों को शामिल करने पर बल देता है इसलिए जनजातीय समुदाय में प्रत्येक महिला की महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह अपने आसपास की खाली भूमि को किचेन गार्डेन में बदलने का प्रयास करे, जिसमें स्थानीय विशेष मौसमी सब्जियाँ और फल उगाएं जा सकें। न्यूट्रिशन गार्डेन का प्रमुख उद्देश्य है – परिवार को प्रतिदिन पोषण और उर्जा से समृद्ध ताजी सब्जियाँ उपलब्ध कराना।

स्वास्थ्यकर और पोषक आहार सुनिश्चित करने के लिए घर में उपलब्ध खाली जमीन पर फल और सब्जियाँ उगाई जाती है जिसे न्यूट्रिशन गार्डेन (पोषण वाटिका) के नाम से जाना जाता है। जनजातीय क्षेत्रों में ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां लोगों की आय सीमित होती है और बाजार तक पहुंचना कठिन होता है। ऐसे में स्थान विशेष कार्यक्रम जैसे–न्यूट्रिशन गार्डेन किट को बढ़ावा देना कुपोषण की समस्या दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कुपोषण और अल्प पोषण केवल ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या नहीं है, बल्कि यह देश के शहरी क्षेत्रों में भी मौजूद है। शहरी क्षेत्रों में मौजूद अल्प पोषण की समस्या से निपटने में न्यूट्रि गार्डेन को बढ़ावा दिया जा सकता है जो सस्ता और स्वास्थ्यकर विकल्प होगा। इसलिए शहरी स्तर पर सब्जियों की विविध प्रजातियों के बीजों की आपूर्ति जरूरी है जो कृषक समुदाय की आय का संभावित जरिया भी बन सकता है। शहरी स्तर पर न्यूट्रिशन गार्डेन के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और बिक्री से उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

इस दिशा में पहल का संक्षिप्त ब्यौरा

महाराष्ट्र में बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउण्डेशन (www.baif.org.in) आजीविका अवसर बढ़ाने और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय समुदायों के साथ काम कर रहा है और बीज संरक्षक समूहों और समुदाय स्तर के संगठनों के माध्यम से यह कार्य जारी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोले प्रखण्ड से कलसुबई परिसर बियाने संवर्द्धन विकास संस्था विविध सब्जियों के बीजों की बिक्री से पोषण सुरक्षा

सब्जियों की विविध प्रजातियों का प्रलेखन

जैविक सब्जियों की विविधता संबंधी प्रदर्शनी और बिक्री

*जानकारी और आंकड़े बीएआईएफ विकास अनुसंधान फाउण्डेशन, पुणे, महाराष्ट्र से

बीज प्रदर्शनियों के जरिये बीज विविधता के बारे में जागरूकता लाना

और आजीविका सुरक्षित करने के लिए जैविक कृषि विधियों से स्वदेशी फसलों के प्रबंधन और सामुदायिक संरक्षण की दिशा में प्रयासरत है।

घरेलू सब्जियों में विविधता के लिए इनके बीजों को एकत्र करके वर्ष 2016 में अकोले ब्लॉक के कुम्बले गांव में बीज बैंक बनाया गया और जैविक विधियों से बीजों के उत्पादन, संरक्षण और शुद्धिकरण की शुरूआत की गयी। आरम्भ में जनजातीय समुदायों की पोषण सुरक्षा के लिए न्यूट्रि गार्डेन लगाया गया और इसके बाद शहरी गार्डेन/टेरेस गार्डेन के जरिये सब्जियों के बीजों के संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। बीएआईएफ के तकनीकी सहयोग के तहत जनजातीय महिला किसानों को पोषण सुरक्षा के साथ–साथ आय सृजन के लिए सहयोग के रूप में बीजों के पैकेट दिये गये।

घरों में बीजों की पैकेजिंग

पहल का विवरण :

इस कार्यक्रम में आरम्भ में स्थान विशेष की घरेलू सब्जियाँ और कंदमूल को उनका जर्म प्लाज्म एकत्र कर सूचीबद्ध किया जाता है और इसे ग्राम/समुदाय समूह के बीज बैंक में जमा करा दिया जाता है। फसल का चुनाव वर्ष भर उनकी उपलब्धता और पोषक तत्वों के आधार पर किया जाता है, चुनी गयी प्रजातियों का बीज उत्पादन सामुदायिक स्तर पर किया जाता है।

जैविक उत्पादन के संबंध में जमीनी प्रशिक्षण तथा बीजों के चुनाव, समुचित भण्डारण और आच्छादन के उपयोग की भी जानकारी दी जाती है। अंकुरण परीक्षण और उनकी परिशुद्धता की जांच बीज बैंक स्तर पर की जाती है। बीजों की पैंकेजिंग और मार्केटिंग कलसुबई परिसर बियाने संवर्द्धन संस्था के जरिये होता है।

पहल का प्रभाव :

- 8538 न्यूट्रि गार्डेन किट तैयार किय गये और महिला समूहो के माध्यम से वितरित किये गये (प्रत्येक किट में 12 से 15 फसल के बीज)
- बीजों की बिक्री से आय अर्जित करने के साथ–साथ परिवारों ने अगले सीजन के लिए बीजों का संरक्षण भी शुरू किया।

कंदमूल विविधता

- उपभोग के लिए 10 महीने की उपज की उपलब्धता।
- पोषण वाटिका उपज विविधता में 40 प्रतिशत की वृद्धि।
- कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान इन समूहों ने 4730 पोषण वाटिका बीज जरूरतमंद परिवारों को दिये।
- महिला उद्यमों ने पोषण वाटिका के लिए बीजों की बिक्री और उद्यमों की तैयारी की (12 प्रकार की सब्जियों के बीज के 10,000 पैकेट तैयार किये गये) और इनकी बिक्री से 5,50,000 रूपये की आय हुई।
- पाँच विद्यालय के लगभग 520 विद्यार्थियों ने विद्यालय प्रांगण में पीछे की ओर उपलब्ध जगह में पाँच सब्जियों की प्रजातियाँ लगाई।

योजना का विस्तार एवं तालमेल

- ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण और कार्यान्वयन के लिए महिला संसांधन काडर (पोषण सखी) का क्षमता निर्माण।
- महिला बीज संरक्षण समूहों द्वारा पोषक सब्जियों के गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन।
- पोषण वाटिका की क्षेत्र विशेष उपज विविधता में वृद्धिं।
- कम उपलब्धता वाले समय में उपभोग के लिए अतिरिक्त उपज को धूप में सुखाना।
- कलसुबई परिसर बियाने संवर्द्धन संस्थान के तहत जनजातीय महिला समूहों की पोषण सुरक्षा और आजीविका के लिए पोषण वाटिका किट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पहल में जनजातीय विकास विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विभाग, महाराष्ट्र के साथ तालमेल की संभावना भी तलाशी जाएगी।

विद्यालय स्तरीय प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम

कोविड-19 की रोकथाम में ग्राम पंचायतों की पहल - सर्वोत्तम प्रथाएं

– पंचायती राज मंत्रालय*

हमारे देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायते, उनके निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पंचायतकर्मी, ग्राम कार्यकर्त्ता और ग्रामीणों ने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। इनमें से कुछ ग्राम पंचायतों ने अपने प्रयासों से उत्कृष्ट उदाहरण सामने रखे हैं। हम ऐसी ग्राम पंचायतों के सर्वोत्तम अनुभव साझा कर रहे हैं।

पेंरिगोट्टकुरूसी ग्राम पंचायत

(अलाथर ब्लॉक, पलक्काड जिला, केरल)

कोविड–19 की पूर्व, वर्त्तमान और भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए पेंरिगोट्टकुरूसी ग्राम पंचायत (जिला पलक्काड, केरल) संक्रमण का प्रसार रोकने और लोगों की रक्षा के लिए हर संभव उपाय कर रही है। लगातार प्रयासों और प्रबंधन उपायों से 17 जून, 2021 तक कुल 210 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 25 लोगों का इस महामारी के कारण निधन हो गया। ग्राम पंचायत सभी पक्षों और स्वास्थ्य टीम, पुलिसकर्मी, आशा कार्यकर्त्ता, आंगनवाड़ी शिक्षकों, स्वयंसेवकों, वार्ड सदस्यों, पंचायतकर्मी, कर्मियों के साथ समन्वय रख रही हैं। ग्राम पंचायत ने निम्नलिखित उपाय किये है:

- कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान पंचायत ने तत्काल एहतियाती उपाय किये और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के निर्देश के अनुसार लोगों को सजग करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। पहले कदम के तौर पर माईक से उद्घोषणा, नोटिस वितरित कर और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता लाई गयी।

- पंचायत ने लोगों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं को सभी चरणों में आवश्यकतानुसार मास्क, सेनीटाइजर, ग्लव्स इत्यादि वितरित किये। वार्ड स्तर पर टीम गठित की गई और इस टीम ने संक्रमित लोगों के सम्पर्क का पता लगाने और पृथकवास प्रबंधो पर निगरानी रखी।
- पंचायत ने राज्य/जिले के बाहर से आने वालों के लिए कोविड देखभाल केन्द्र (सीसीसी) की व्यवस्था की। जिन लोगों के पास घर में पृथकवास की सुविधा नहीं थी, उनके लिए सरकारी आवासीय विद्यालय नदुवथपारा में पृथकवास केन्द्र बनाया गया। कोविड देखभाल केन्द्र में रखे गये लोगों के खाने–पीने की व्यवस्था पंचायत ने की और हर समय एहतियाती दिशा–निर्देशों का ध्यान रखा गया। कोविड–19 नियमों के तहत कोविड जाग्रथा वेबसाइट के जरिये राज्यों में बाहर से आने–जाने वाले लोगों को पास जारी करने के लिए पंचायत ने आवश्यक

*पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

जांच–पड़ताल की और जिला प्रशासन को इसकी रिपोर्ट दी।

- ग्राम पंचायत ने तय कार्य योजना के अनुसार गतिविधियों की पहल की। लगभग 300 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था के उद्देश्य से सामुदायिक रसोईघर शुरू किया गया। क्वारंटिन में रखे गये लोगों, कोविड रोगियों और पंचायत के अत्यंत जरूरतमंद लोगों के लिए दिन में तीन बार भोजन की व्यवस्था की गयी।
- सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और मुख्यमार्गो पर सैनिटाइजेशन किया गया।
- वार्ड सदस्यों द्वारा आवश्यक किट वितरित किए गए।
- स्वैच्छिक संगठनों ने सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की।
- ग्राम पंचायत ने परिवार स्वास्थ्य केन्द्र को एंटीजन किट वितरीत किया, अब तक लगभग 1413 एंटीजन

टेस्ट और 443 आरटीपीसीआर जांच की जा चुकी हैं। पंचायत ने परिवार स्वास्थ्य केन्द्र से नियमित परामर्श किया, परीक्षणों की संख्या बढ़ाई गयी ताकि संक्रमण दर में कमी लायी जा सके। संक्रमण के फैलाव और रोकथाम उपायों के आकलन और विश्लेषण के लिए कोर समिति की प्रतिदिन बैठक आयोजित की गयी।

- **टीकाकरण के लिए व्यापक प्रयास** : महामारी की दूसरी लहर, पहली लहर से कही अधिक घातक थी। इसे देखते हुए, 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए व्यापक प्रयास किये गये। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत ने अलग से वाहन, दो नर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था की ताकि टीकाकरण के लिए वार्ड शिविर लगाये जा सके। पंचायत ने लोगों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं, स्वयंसेवको और संबंधित कर्मचारियों को भी टीकाकरण के लिए कोविन साइट पर पंजीकरण में मदद की। पंचायत ने अपने क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के सदस्यों को रोग प्रतिरोधक आयुर्वेदिक और होम्यिोपैथिक औषधि वितरित की।
- ग्राम पंचायत की 12000 लोगों की आबादी (मुक्त स्रोतः https://villageinfor/in/kerala/), में से लगभग 8000 लोगों का टीकाकरण हो चुका हैं (ग्राम पंचायत से मिली जानकारी के अनुसार)।
- चौबीसो घण्टे एम्बुलेन्स और पाँच अन्य वाहन, आपात जरूरतों के लिए, तैयार रखे गए ताकि रोगी को

लाने–ले जाने या शवों के अंतिम संस्कार इत्यादि में कठिनाई न आए। कोविड के शिकार रोगियों के शवों के अंतिम संस्कार के लिए अलग स्थान की व्यवस्था की गयी।

मिलारकोड ग्राम पंचायत

(नेनमारा ब्लॉक, पलक्काड जिला, केरल)

जागरूकता कार्यक्रम : दूसरी लहर के रूप में कोरोना संक्रमण के व्यापक प्रसार को देखते हुए ग्राम पंचायत ने राज्य एलएसजी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार अनेक उपाय किये। पूरे पंचायत क्षेत्र में कोविड संक्रमण रोकथाम की जरूरत, व्यक्तिगत और समाजिक स्वच्छता, सुरक्षित दूरी बनाये रखने जैसे एहतियाती उपायों के महत्व के बारे में माइक उद्घोषणा से कई बार प्रचार–प्रसार किया गया। पंचायत महामारी के फैलाव की आशंका, सुरक्षात्मक उपाय, रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंचायत की वार्ड स्तरीय सैनिटेशन समितियों ने

पूरी कोविड अवधि के दौरान घर–घर जाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया।

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति : सन्धाम स्वयंसेवकों की मदद से 23 लाभार्थियों के लिए उनके घर जाकर भोजन सामग्री पहुंचायी गयी। स्वयंसेवकों ने जरूरतमंद लोगों को दवा उपलब्ध करायी और पृथकवास में रखे गये लोगों को आवश्यक वस्तुएँ पहुंचायी।

डीसीसी (आवासीय कोविड देखभाल केन्द्र) : डीसीसी या माइक्रो प्रथम उपचार केन्द्र की अवधारणा उन संक्रमित लोगों के उपचार के लिए विकसित हुई जिनमे संक्रमण के लक्षण नहीं थे और जिन्हें केवल पृथकवास में रखे जाने की जरूरत थी। मेलारकोड ग्राम पंचायत के अन्तर्गत 19.मई 2021

से एक अत्यंत प्रभावी डीसीसी कार्यरत है। यह डीसीसी बिना लक्षण वाले कोविड रोगियों के लिए पृथकवास सुविधाओं की व्यवस्था करता है, जिनके पास घर में पृथकवास की प्रयाप्त सुविधा नहीं है। ग्राम पंचायत ने डीसीसी में भोजन

और चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करायी, अभी डीसीसी में 50 बिस्तरों, एक डॉक्टर, 4 नर्स, 6 सफाईकर्मी और 15 आरआरटी स्वयंसेवकों की व्यवस्था है, जिन्हें केरल सरकार के आदेश से दैनिक पारिश्रमिक पर रखा गया है।

कुसुमजोरे ग्राम पंचायत

(सिनापाली ब्लॉक, नुआपाड़ा जिला, ओडिशा)

टीकाकरण–हिचकिचाहट दूर करना और लक्ष्य प्राप्त करना

उदित प्रताप सिंह ज्योति, सरपंच, कुसमजोरे ग्राम पंचायत (सिनापाली ब्लौक, नुआपाड़ा जिला, ओडिसा)

कुसुमजोरे ग्राम पंचायत (सिनापाली ब्लॉक, नुआपाड़ा जिला, ओडिशा) छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर अवस्थित है और

उदित प्रताप सिंह ज्योति, सरपंच, टीकाकरण के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करते हुए – चित्र : द हिन्दु अखबार

यह ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर और जिला मुख्यालयों से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर है। इस ग्राम पंचायत में पाँच गांव है :– कुसुमजोरे, ब्रामनीगुडा, कसईपानी, नुआगुडा और हल्दीखोल, यहां की कुल अबादी 4424 है। (बहुसंख्यक लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के) इनमें से 708 लोग 45 वर्ष और उपर की आयु के हैं। दूरी और टीकाकरण को लेकर हिचक के कारण स्थानीय प्रशासन के लिए पात्र आबादी के कोविड रोधी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना कठिन हो गया था। टीकाकरण अभियान की शुरूआत में लोगों के बीच इसे लेकर काफी हिचक देखी गयी। शुरू में तो लोग टीकाकरण की बात करने पर ही दूर भाग जाते थे। उनका कहना था कि टीका लेने से तीन महीने के अंदर ही उनकी मौत हो जायेगी। यहां तक कि स्थानीय आयुष चिकित्सक उन्हें समझाने में सफल नहीं हो पाये, लेकिन ग्राम पंचायत के युवा सरपंच ने अपने नेतृत्व में आंगनवाडी कार्यकर्त्ता, आशा कर्मियों, ओडिसा आजीविका मिशन कर्मियों, एएनएम, स्वास्थ्य कर्मियों, गांव के सक्रिय स्वयंसेवकों, पंचायत कार्यकारी अधिकारी श्री सत्य कुमार माझी और ग्राम रोजगार सेवक श्री आशीष कुमार मुण्ड को लेकर एक संयुक्त टीम बनायी। इस टीम ने घर–घर जाकर 44 वर्ष से उपर के लोगों को कोविड रोघी टीका लगाने के लिए समझाया। इन प्रयासों के साथ–साथ नियमित रूप से माइक से उद्घोषणा भी की गयी। सरपंच ने अनिच्छुक लोगों को टीका केन्द्र तक लाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की। जिला पंचायत अधिकारी, नुआपदा (श्री बिबेकानन्द महानंद) और खण्ड विकास अधिकारी, सिनापाली (श्री सदाशिब नायक) ने डॉक्टर बैरब चरण पाणिग्रही और डॉक्टर तारकान्त दास के साथ मिलकर अतिरिक्त सहयोग दिया और गांव के स्थानीय लोगों तक जाकर उन्हें समझाया।

संरपंच उदित प्रताप सिंह ज्योति ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि वे जिम्मा लेते है कि टीकाकरण के बाद उनके परिवार के सदस्यों को कोई परेशानी नहीं होगी। इस आश्वासन ने लोगों के बीच भरोसा जगाया।

लोगों को समझाने और आश्वस्त करने के अथक प्रयासों के बाद टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी 708 लोग स्वेच्छा से टीका लगाने पर सहमत हो गये और उन्होंने पहली डोज लगवा ली। इनमें से कुछ लोगों ने दूसरी डोज भी लगवा ली हैं और इस प्रकार कुसुमजोरे ग्राम पंचायत ने 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

पूर्वी चाँदीगढ ग्राम पंचायत

(मोहनभोग आरडी ब्लॉक, सेपाहीजला जिला, त्रिपुरा)
लागू किये गये कोविड रोधी एहतियाती उपाय

- टीकाकरण के लिए आंगनवाडी कार्यकत्ताओं और आशा कार्याकत्ताओं द्वारा घर–धर जागरूकता अभियान।
- ग्रामीण बाजारों, मनरेगा कार्यस्थल और निकट के मंदिर में विशेष जागरूकता शिविर (पंचायती राज संस्था सदस्यों के नेतृत्व में)।

- दिहाड़ी कामगारों के लिए दिन के समय टीकाकरण सत्र और शाम के समय विशेष सत्र का आयोजन।
- लोगों को टीकाकरण केन्द्रों तक लाने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों और गैर सरकारी संगठनों को शामिल करना।
- टीकाकरण से छूटे लोगों की पहचान के लिए घर–घर जाकर पता लगाना।
- जिला मजिस्ट्रेट और खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दैनिक आधार पर टीकाकरण स्थिति की निगरानी।
- टीकाकरण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान (लाउड स्पीकर/माइक के जरिये)।
- टीका उत्सव को लेकर विशेष अभियान।
- पूर्वी चाँदीगढ़ में डीएम, बीडीओ और एसडीएमओ का दौरा तथा सभी पात्र लोगों के टीकाकरण योजना की तैयारी।
- दिव्यांग और चलने–फिरने में असमर्थ विस्तर पर पड़े लोगों का उनके घर जाकर टीकाकरण।
- टीकाकरण के पात्र लोगों का पता लगाने के लिए आशा कार्यकर्त्ता, पंचायती राज संस्था के सदस्य, पंचायत और ब्लॉक कर्मियों की टीम का दूसरी बार घर–घर जाना।

टीकाकरण से छूट गये लोगों को वाहन के जरिये टीकाकरण केन्द्र तक लाया गया और इस प्रकार सभी पात्र लोगों का कोविड रोधी टीकाकरण पूरा हुआ।

ग्राम पंचायत - धरनायी

(ब्लॉक मखदुमपुर जिला–जहांनाबाद, बिहार)

ग्राम पंचायत – अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित धरनायी के मुखिया श्री अजय यादव ने ग्राम रक्षा दल की मदद से लोगों में जागरूकता लाने, ग्राम पंचायत के सैनेटाइजेशन, तथा समाज में संक्रमण के फैलाव

पर निगरानी रखने जैसे अनेक कार्यों में योगदान दिया।

आशा कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाडी कर्त्ताओं ने टीकाकरण के लिए घर–घर जाकर लोगों को जागरूक किया। ग्रामीण बाजारों, मनरेगा स्थलों और निकट के मंदिर परिसर में विशेष जागरूकता शिविर (पंचायती राज संस्था सदस्यों के नेतृत्व में) का आयोजन किया गया।

मुखिया श्री अजय यादव ने स्वयं अनेक गतिविधियों में भाग लेकर अन्य ग्रामवासियों को प्रोत्साहित करके एक बार फिर आदर्श सामने रखा। इन गतिविधियों में नालों की सफाई और पहले स्वयं कोविड रोधी टीका लगाना शामिल था। ग्राम पंचायत शत–प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है।

कौशल विकास के विकेन्द्रीकरण से गांव बनेंगे सक्षम

– कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय*

'पंचायत की विकास गतिविधियों में कौशल अभिप्रमाणित कार्यकर्ताओं की भागीदारी' पर पायलट प्रोजेक्ट

इस बात के अनेक प्रमाण है कि सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय आवश्यकता और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकरण और प्रतिभागिता योजना जरूरी है। विकेन्द्रीकृत योजना के मूल में बहुस्तरीय योजना की जटिल संरचना, होती है जोकि सूक्ष्म योजना को व्यापक योजना से जोड़ती है। विकेन्द्रीकरण को अक्सर ''मौन क्रान्ति'' कहा जाता है। इसका प्रभाव स्थानीय प्रशासन की गुणवत्ता से लेकर व्यापक आर्थिक वृद्धि तक समाज के सभी पक्षों पर पड़ता है। लोकतांत्रिक, विकेन्द्रीकृत योजना के माध्यम से हाशिये पर कर दिये गये और ''अंतिम छोर'' के लोगों की आवाज सुनी जा सकती हैं और उन पर ध्यान दिया जा सकता है।

विकेन्द्रीकृत योजना कई तरीकों से काम करती हैं, पहला तरीका हैः यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय निर्वाचित निकाय स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये क्योंकि स्थानीय योजना तैयार करने की उनकी क्षमता ही, इसकी प्रभावकारिता की पूंजी है। स्थानीय निकाय ही स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओ को पूरी तरह समझ सकते हैं और इस प्रकार ये सर्वाधिक उचित हितधारक हैं जो विकास योजनाओं को सार्थक रूप दे सकते है। यह स्रोत ही सतत और स्वावलम्बी स्थानीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक वृद्धि की नींव रखता है।

ग्राम पंचायतों को एक सशक्त संस्था बनाने में कौशल प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सशक्त, सक्षम और मजबूत ग्राम पंचायतें ही निर्णय लेने और स्थानीय विकास की योजना बनाने में सक्षम हो सकती हैं, कौशल विकास इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान करता है। कौशल और उद्यमिता मंत्रालय की पहल आजीविक संवर्धन हेतु कौशल ग्रहण एवं उद्यमिता विकास का प्रमुख उद्देश्य संस्थागत ढांचे का सशक्तिकरण है। 'संकल्प' के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय राज्य और जिला कौशल तंत्र को सशक्त बनाने का काम करता रहा है, लेकिन जल्दी ही समझा गया कि इन प्रयासों के वास्तविक रूप से सार्थक और प्रभावी होने के लिए जरूरी है कि इन्हें ''अंतिम छोर'' यानि ग्राम पंचायातों से जोड़ा जाए। जमीनी स्तर पर समग्र आर्थिक विकास के लिए जरूरी है कि स्थानीय निकाय स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं को पहचानने और उन्हें पूरा करने में स्थानीय संसाधनों और बुनियादी ढाँचे का इस्तेमाल करने में सक्षम हों। कौशल विकास की योजना के लिए बिल्कुल निचले सिरे से शुरू कर ऊपर तक आने की प्रक्रिया ग्राम पंचायतों से शुरू होती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सबसे दूर दराज के कोने में रहने वाले लोगों तक भी सड़क, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुंच हो। यह भी सुनिश्चित होगा कि स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति अपेक्षित प्रशिक्षण और प्रमाणन के जरिये स्थानीय मानव शक्ति से हो। इससे ग्राम पंचायते और सशक्त होगी और उन्हें कुशल संसाधनों का योगदान मिलेगा। इसके अलावा योजना बनाने वाली और कार्यक्रमों को लागू करने वाली एजेंसी भी सशक्त बनेगी तथा स्थानीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकेंगी।

ग्राम पंचायतों के कौशल प्रशिक्षण और उन्हें पिरामिड के निचले स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के बीच जुलाई 2020 में एक समझौतें पर हस्ताक्षर किया गया। इस भागीदारी के तहत एक पायलट कार्यक्रम ''पंचायत की विकास गतिविधियों में कौशल अभिप्रमाणित कार्यकर्ताओं की भागीदारी'' का संचालन उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चन्दौली जिले के दो–दो ब्लॉक में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को केवल कौशल प्राप्त अभिप्रमाणित कार्यकर्ताओं के सहयोग से गांव वासियों को गुणवत्तापूर्ण जनसेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम बनाना है और इस प्रकार कार्यकर्त्ताओं को अभ्यास और पारम्परिक रूप से सीखे गये कौशल को औपचारिक रूप देने में मदद करना है। इसका लक्ष्य कौशल क्षमता वाले ऐसे स्थानीय लोगों की पहचान करना है, जिन्होंने अनौपचारिक प्रशिक्षण से कौशल प्राप्त किया है और जो ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध

*कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से प्राप्त जानकारी

महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जिन्हें पंचायत विकास योजनाओं में स्थानीय अवसरों तक पहुंच के समान अवसर दिये गये हैं। इस पायलट परियोजना में कौशल आकलन और अभिप्रमाणन का कार्य पूर्व जानकारी की पहचान (आरपीएल) के जरिये किया गया तथा कौशल प्राप्त और अभिप्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार के लिए ग्राम पंचायतों से जोड़ा गया।

इस पायलट परियोजना में सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, राजमिस्त्री, बिजली मिस्त्री, बढ़ई और पेंटर के कौशल प्रमाणन पर संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा विचार किया गया। कुल 6635 कुशल कामगार जो या तो ग्राम पंचायतों में कार्यरत थे या निकट भविष्य में जिनके कार्यरत होने की संभावना थी, उनका सफलतापूर्वक मूल्यांकन और प्रमाणन किया गया। प्रशिक्षित और अभिप्रमाणित किये जाने वाले उम्मीदवारों की पहचान के साथ–साथ उनकी कार्य भूमिका की पहचान स्वयं ग्राम पंचायतों द्वारा की गयी। यह अपने तरह की प्राथमिक पहल थी, जिसमें विभिन्न हितधारक एक साथ शामिल थे।

इस पायलट परियोजना के जरिये अनेक जानकारी प्राप्त की गयी जिनका उल्लेख महत्वपूर्ण है :

- **गुणवत्ता डेटा :** इस परियोजना के लिए उम्मीदवारों, जो ग्राम पंचायतों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, की पहचान के वास्ते ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं। इस कार्यक्रम के तहत आरपीएल और विकास योजनाओं के संचालन के लिए आवश्यक कार्य भूमिका की पहचान के लिए भी ग्राम पंचायतें उत्तरदायी हैं। इसलिए ग्राम पंचायतों से डेटा की गुणवत्ता इस परियोजना की आवश्यक और केन्द्रीय धुरी बन जाती है। डेटा संग्रह से लेकर समय पर इसके संकलन की विधि सुचारू नहीं थी और इसे स्तरीय बनाने की जरूरत थी। इस कारण इस परियोजना के लिए लक्षित समूह को गतिशिल बनाने में भी बाधा आती थी।
- **प्रतिपालन और जागरूकता :** परियोजना के शुरूआती चरण में इसमें जागरूकता सृजन और प्रतिपालन का घटक शामिल नहीं किया गया। इससे प्राथमिक हितधारकों, विशेषकर लाभार्थियों और ग्राम पंचायत कर्मियों को इन लाभों के बारे में अवगत कराने और प्रभावित करने के उद्देश्य से उन तक पहुंचने में चुनौती का सामना करना पड़ा। (क) परियोजना में भागीदारी के लाभ, (ख) अपनायी गयी प्रक्रियाएं और (ग) लक्षित परिणाम। इसका नतीजा यह हुआ कि लाभार्थियों को सक्रिय करना और ग्राम पंचायतों से जोड़ना, अपेक्षित रूप से प्रभावी नहीं रहा।
- **रोजगार सम्पर्कों की निगरानी –** प्रशिक्षित और अभिप्रमाणित उम्मीदवारों को रोजगार अवसरों से जोड़ना एक चुनौती रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए अवसरों का पता लगाने की एक पर्याप्त और मजबूत तंत्र जरूरी है।
- **प्रौद्योगिकी सशक्त और सक्षम बनाने के माध्यम के रूप में –** इस परियोजना के लिए एक समर्पित आइटी पोर्टल बनाया गया है, जहां उम्मीदवारों की पहचान, प्रशिक्षण क्रम और रोजगार स्थिति का विभिन्न स्तरों पर, एक सिंगल आईटी प्लेटफार्म पर सुचारू प्रबंधन किया जा सकता है।
- **जिला और ग्राम पंचायत कार्यकर्त्ता का क्षमता निर्माण–** इस परियोजना की सफलता प्राथमिक रूप से जिला और ग्राम पंचायत कर्मियों को तत्पर करने, उनके सीखने और क्षमता के स्तर पर निर्भर करती हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जिला और ग्राम पंचायत कर्मियों को पूरी तरह जोड़ा जाए और उन्हें इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाए।

ऐसे कार्यक्रमों की विकेन्द्रीकृत योजना का उद्देश्य व्यापक परिणाम प्राप्त करना है – जैसे कुशल प्रशासन, सतत क्षेत्रीय विकास, इस प्रणाली में विश्वसनीयता और सक्षमता। यह परिणाम एक बड़ी सीमा तक विकेन्द्रीकरण की रूपरेखा और उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करते है। संकल्प कार्यक्रम अपने प्रयासों से, जैसे कि वाराणसी और चन्दौली में शुरूआती योजना, एक ऐसा बुनियादी ढांचा सृजित करना चाहता है जिसमें प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दिया जा सके और इसे प्रभावी बनाया जा सके।

विकेन्द्रीकरण प्रणालीबद्ध सुधारों के लिए एक प्रभावी माध्यम है, लेकिन यह कार्य आसान नहीं हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार हस्तांतरित करने की स्वीकृति जरूरी है ऐसे में उन विभिन्न स्तरों की पहचान महत्वपूर्ण है जिनपर घ्यान केन्द्रित किये जाने की जरूरत हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस प्रकार की विकेन्द्रीकृत योजना, एक समान कौशल प्रशिक्षण सफल साबित हो और इससे ग्रामीण स्तर पर मजबूत प्रशासन और सतत विकास हो सके, व्यक्तिगत स्तर पर कौशल प्रमाणन से सक्रियता बढ़ेगी और अधिक पारिश्रमिक सुनिश्चित होगा। ग्राम स्तर पर यह योजना ग्राम पंचायतों को कुशल संसाधन, गुणवत्तापूर्ण मानक और समयबद्ध ढंग से स्थानीय समुदायों को आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम बनायेगी। अभिप्रमाणित कुशल संसाधनों को काम में लगाने से सेवा मानकों का पालन हो सकेगा, जिससे ग्राम पंचायतों से लोगों के जुड़ाव का स्तर बढ़ेगा तथा योजना में प्रतिभागिता बढ़ेगी।

सर्विस प्लस : ई-पंचायत परियोजना के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्रालय की अभिनव पहल

– सुश्री मनि खनेजा*

जब पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने पंचायत स्तर (देश में ढाई लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय सरकारें) की सेवाओं को इलेक्ट्रोनिक रूप से सक्षम बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर निर्मित करने का फैसला किया, तो पंचायती राज मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से सक्षम सेवाओं के लिए मेटा–डेटा आधरित सॉफ्टवेयर समाधान फ्रेमवर्क बनाने का निर्णय लिया।

सर्विस प्लस की अवधारणा तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए की गयी थी ताकि प्रशासन का कोई भी स्तर अपनी सेवाओं को तेजी से ई–सक्षम बना सके।

सर्विस प्लस एक मेटा–डेटा ई–सेवा आपूर्ति व्यवस्था है जो लो–कोड नो–कोड (एलसीएनसी) ढाँचे पर निर्मित हैं।

- ✓ यह सेवा के मेटा–डेटा को स्पष्ट करने के लिए विजर्ड जैसा इन्टरफेस उपलब्ध कराता है और बाद में इस मेटा–डेटा का उपयोग ई–सेवा सृजित करने के लिए किया जाता है।
- ✓ यह मल्टी टेनेंसी सेवा उपलब्ध कराता है जिससे प्रत्येक भागीदार आवश्यकता के अनुसार अपनी ई–प्रशासन सेवा की रूपरेखा निश्चित कर सकता है और इसका प्रबंधन कर सकता है।
- ✓ इस समय विभिन्न राज्यों में लगभग 2,000 सेवाएं सर्विस प्लस के जरिये उपलब्ध करायी जा रही हैं। इस व्यवस्था की तीव्र क्षमता के कारण यह सम्भव हुआ है।
- ✓ कोविड महामारी के दौरान 18 से भी अधिक राज्य सरकारों ने सर्विस प्लस को ई–पास समाधान के लिए अपनाया।
- ✓ इन सेवाओं के माध्यम से 25 लाख से अधिक ई–पास आवेदनो को आगे बढ़ाया गया।

ServicePlus
Metadata-based Integrated eService Delivery Framework

सर्विस प्लस–"एक प्रभावी ऐप्लिकेशन है जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों, पंचायतों, शहरी/ग्रामीण स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों को तेजी से ई.पास सेवा की रूपरेखा तय करने और शुरू करने की सुविधा मिली और लोगों का आपात जरूरतों में राज्य के भीतर या एक से दूसरे राज्य में आना जाना संभव हुआ।"

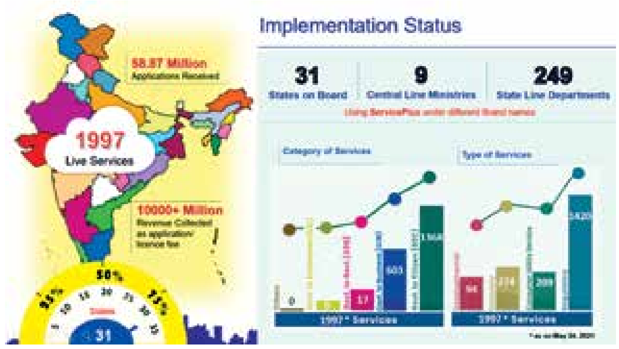

चित्र 1 सर्विस प्लस की कार्यान्वयन स्थिति

- ✓ इसके बाद जारी किये गये ई–पास नागरिकों की सुविधा के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप पर अपलोड कर दिये गये।

सर्विस प्लस की व्यापक विशेषताओं का उपयोग कोविड-19 से संबंधित सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से किया गया :

सर्विस प्लस व्यवस्था ने आरम्भ से अब तक अनेक विशेषताएं/कार्य सक्षमताएं शामिल की है जो ई–सेवा की आपूर्ति के लिए आवश्यक हैं। सर्विस प्लस ऐप्लिकेशन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है :

- ✓ सशक्त फॉर्म जेनरेशन टूल
- ✓ निर्णय लेने के लिए कनफिगरेबल वर्कफ्लो
- ✓ एसएमएस/ई–मेल के जरिये सशक्त अधिसूचना प्रणाली
- ✓ अंतरण सुविधा के माध्यम से सरकारी नियमों/नीतियों में परिवर्तन से समायोजन
- ✓ अन्य अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण आधारित एपीआई

राष्ट्रीय ई-पास प्रणाली द्वारा उपलब्ध करायी गई सुविधाएं

ई–पास सेवा में प्रत्येक प्रशासन को न्यूनतम या आवश्यक डेटाबेस रखना होता हैं। राज्यों में इस संदर्भ की एक मुख्य आवश्यकता थी, आवेदको के लिए एक सरल और सहज इंटरफेस रखना। सर्विस प्लस के कनफिगरेबल इंटरफेस से प्रत्येक राज्य को अपनी संबंधित सेवाओं के लिए डिजाइन सुनिश्चित करने में मदद मिली।

*उपमहानिदेशक और विभाग प्रमुख, पंचायत सूचना प्रभाग, राष्ट्रीय सूचना केंद्र

ई–पास प्रणाली के बुनियादी ढांचे ने इन बिन्दुओं का अनुपालन किया :

- ✓ मोबाईल पर ओटीपी पुष्टि से उपयोगकर्त्ता की पहचान
- ✓ आवेदक का नाम, वर्त्तमान और लक्षित पता, यात्रा की तिथि, दल के सदस्यो का ब्यौरा यदि हो तो, वाहन संबंधित ब्यौरा, चालू ई–मेल आईडी
- ✓ स्रोत और लक्षित पते पर कोविड–19 जोन का ब्यौरा उपलब्ध कराना।
- ✓ मोबाईल और ई–मेल पर तत्काल सूचित करना।
- ✓ संबंधित अनुमोदन प्राधिकरणों तक आवेदनों को स्वचलित पहुँचाना।
- ✓ आवेदक (आवेदका) की स्वास्थ्य, स्थिति जैसा कि अनुमोदन प्राधिकरणों के लिए आरोग्य सेतु में उपलब्ध है।
- ✓ स्रोत और लक्षित पते के लिए बहुस्थलीय अनुमोदन प्राधिकरण
- ✓ जारी ई–पास संबंधित आरोग्य सेतु ऐप पर डालना।
- ✓ आवेदक को समुचित सूचना देते हुए किसी भी समय जारी ई–पास को रद्द करने की सुविधा
- ✓ ई–पास से छेड़छाड़ रोकने के लिए सर्वर प्रमाणित क्यूआर कोड

पंचायती राज विभाग द्वारा विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध करायी गई सेवाएं :

पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल के रूप में सर्विस प्लस का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ई–सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है ताकि बिना किसी यात्रा या सामान संबंधी व्यवधान के सभी सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। इसे देखते हुए अनेक राज्यों ने राज्य पंचायती राज विभागों और पंचायतों के सभी स्तरों के अन्तर्गत सर्विस प्लस रूप रेखा के जरिये सेवाएं तय की हैं। इस सेवा का स्वरूप इस प्रकार हैं :

- ✓ आयु प्रमाण पत्र
- ✓ अन्य संबंधित प्रमाण पत्र
- ✓ जाति प्रमाण पत्र
- ✓ आय प्रमाण पत्र
- ✓ आवासीय प्रमाण पत्र
- ✓ जननी सुरक्षा योजना प्रमाण पत्र
- ✓ कानूनी वारिस प्रमाण पत्र

पंचायत स्तरों पर सेवा उपलब्ध कराने वाले कुछ राज्य हैं – पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार इत्यादि। इन राज्यों में पंचायत, जिला परिषद स्तर पर रह रहा कोई भी

व्यक्ति किसी सेवा के लिए ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से/ कियोस्क से सीधे आवेदन कर सकता है। सर्विस प्लस की मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं जो ग्रामीण स्तर पर आवेदक को सेवा के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाती हैं :

- ✓ स्थानीय भाषा में आवेदन पत्र
- ✓ दिये गये मोबाईल नम्बर पर तुरंत सूचना
- ✓ ऑनलाइन/ऑफलाइन भुगतान
- ✓ मोबाइल या कम्प्यूटर से आवेदन की निर्बाध ट्रैकिंग
- ✓ सर्विस प्लस मोबाइल ऐपलिकेशन
- ✓ प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन डिलिवरी और अन्य सुविधाएं

सराहना

भारत सरकार ने कोविड–19 महामारी के दौरान योगदान के लिये ई– पंचायत परियोजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय की पहल सर्विस प्लस की सराहना की। अंतरराष्ट्रीय रूप से अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ(आईटीयू), जेनेवा, स्विट्जरलैंड ने भी इसकी एकीकृत विशेषताओं के लिये इसकी प्रशंसा की है।

सर्विस प्लस को हाल में प्राप्त प्रशंसाएं संक्षेप में इस प्रकार है:

1. आईटीयू (https://www-itu-int/), द्वारा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में 18 मई 2021 को आयोजित डबल्यूएसआईएस (वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी) फोरम से चौम्पियंस अवार्ड
2. डिजिटल इंडिया अवार्ड– गोल्ड उत्कृष्ट उत्पाद, ई–पंचायत परियोजना के तहत पंचायती राज मंत्रालय की पहल सर्विस प्लस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव चंद्रशेखर कुमार ने टीम के साथ पुरस्कार ग्रहण किया।
3. सर्विस प्लस से संचालित 'अंत्योदय सरल' हरियाणा को प्लैटिनम अवार्ड। यह पुरस्कार डिजिटल इंडिया

अवार्ड 2020 द्वारा 'डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्टता – राज्य/केंद्र शासित प्रदेश' श्रेणी के तहत दिया गया।

4. 'अंत्योदय सरल, हरियाणा' परियोजना ने '2020 में प्रशासनिक सुधार और लोकशिकायत विभाग दवारा ई. प्रशासन पर आयोजित 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन में नागरिक केंद्रित सुविधायें उपलब्ध कराने में उत्कृष्टता श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जीता।'

5. हरियाणा सरकार की पहल पर सर्विस प्लस से संचालित 'अंत्योदय सरल' को 'कुशल प्रशासन अवार्ड– 2020'। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री ने यह पुरस्कार प्रदान किया।

6. असम में कोविड 19 महामारी के दौरान सर्विस प्लस संचालित ऑनलाईन ई– पास सॉफ्टवेयर के लिये असम के तत्कालीन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा वित्त मंत्री डॉ, हिमंता बिस्व सरमा द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

7. सर्विस प्लस संचालित ईओडीबी प्रोजेक्ट के लिये मेघालय के मुख्यमंत्री कार्यालय, द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया।

8. असम को सर्विस प्लस संचालित ईओडीबी प्रोजेक्ट के लिये 18वें सीएसआई सीआईजी ई. प्रशासन 2020 में सराहना पुरस्कार।

9. राष्ट्रीय सूचना केंद्र के प्रकाशन इनफॉर्मैटिक्स – ऐन ई गवर्नेंस ने कोविड–19 महामारी के दौरान सरकारी ई. पास जारी करने के लिये सर्विस प्लस का प्रमुख योगदान माना है। एनआईसी ने जुलाई 2020 में 'कोविड–19 ई.पास – अ सर्विस प्लस सक्सेस स्टोरी' नाम से आलेख प्रकाशित किया।

सरपंच दीदी के बोल

भागीदारी से करके नियोजन, करें कोरोना मुक्त हर गांव और जन

– पंचायती राज मंत्रालय*

सरपंच दीदी:

आज मैं आप सभी को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायत के नियोजन के बारे में बताऊंगी। जिससे हमें कोरोना महामारी से भी अपने गांव को मुक्त करने में सहायता मिलेगी।

ग्रामवासी: दीदी, हमारी पंचायत तो हर साल ग्राम पंचायत विकास योजना बनाती है फिर कोरोना काल में 15वें वित्त आयोग से हमें कैसे लाभ होगा, जरा विस्तार से बताइए।

सरपंच दीदी:

सरकार के निर्देश है कि पंचायतें 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि को न केवल विकास कार्यों में ही खर्च कर सकती है, बल्कि कोरोना एवं अन्य वैश्विक महामारी या आपदाओं में राहत कार्यों के लिए भी उपयोग कर सकती है।

ग्रामवासी: अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया निर्देश है। परंतु इसके तहत हम क्या कर सकते हैं?

सरपंच दीदी:

15वें वित्त आयोग की राशि से पंचायत में सभी लोंगों की नियमित जांच के लिए प्रबंध कर सकते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों एवं परिवारों के लिए जरूरी राहत सामग्री खरीदी जा सकती है। गांव में सार्वजनिक स्थानों को नियमित रूप से सैनिटाइज़ करने का खर्च वहन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत लोगों में कोरोना से बचाव के

लिए टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा सकते हैं।

ग्रामवासी : हां दीदी, सबसे पहले हम अपने–अपने वार्ड में कोरोना की स्थिति का जायजा लेते हैं। प्रभावित परिवारों के लिए एवं गांव में सैनिटाइजर, मास्क, आक्सीजन सिलेंडर, दवाइयां एवं अन्य राहत सामग्री की जरूरत का आकलन करके आपको बताते हैं।

सरपंच दीदी:

परंतु मुझे आप सभी के और सुझाव भी चाहिए, ताकि हम पंचायत स्तर पर ही प्रयास करके अपनी पंचायतों को कोरोना मुक्त बनाएं। और हां अंत में एक बात– 18 वर्ष की उम्र से अधिक के सभी ग्रामवासी अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं।

**अब कोरोना का न होगा कोई प्रभाव,
टीकाकरण से होगा पूरा बचाव**

---

*पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त जानकारी पर आधारित

डिजिटल क्रांति से परिवर्तन का सार्थक उदाहरण – दावन ग्राम पंचायत

– पंचायती राज मंत्रालय*

ग्राम पंचायत का नाम	दावन
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	बिहार
थीम	ई प्रशासन

बिहार राज्य की दावन ग्राम पंचायत ने ई–प्रशासन श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिये दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त किया है। उत्तरदायी, पारदर्शी और विश्वसनीय सरकार के लिये ई–प्रशासन पर ध्यान देना और इसे सशक्त बनाना जरूरी है। दावन पंचायत, द्वारा अपने क्षेत्र में आने वाले गांवों को तेज गति की इंटरनेट सुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर, आरटीपीएस काउंटर, डिजिटल साक्षरता कक्ष, वीडियो कॉफ्रेसिंग सुविधा जैसी ई. प्रशासन सुविधायें उपलब्ध रही है।

ग्राम पंचायत दावन पहले औषधीय पौधों से समृद्ध होने के कारण 'दवा' नाम से जाना जाती थी। 5063.45 एकड़ क्षेत्र में फैली यह पंचायत बिहार के भोजपुर जिले के जगदीश पुर ब्लॉक में स्थित है। यह जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर और प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 14,523 लोगों की आबादी के साथ यह ग्राम पंचायत एक राजस्व ग्राम भी है जहां विविध जाति, संस्कृति और धर्म के लोग शांति और सद्भाव से रहते हैं। यह पंचायत अपनी बड़ी और मिलीजुली आबादी के सुविधाजनक जीवन स्तर के लिये आवश्यक बुनियादी सुविधायें प्राप्त और एकत्र करने तथा विकसित करने में सफल रही है। ग्राम पंचायत दावन में सभी बुनियादी सुविधायें मौजूद हैं – जैसे 13 प्राथमिक विद्यालय, 1 उच्च विद्यालय, एक महाविद्यालय और 13 आंगनवाड़ी केंद्र, बैंक की एक शाखा, एक खेल मैदान, एक मनरेगा भवन, एक पीएसीएस भवन इत्यादि।

अन्य ग्राम पंचायतों की तरह ग्राम पंचायत दावन की विकास यात्रा भी अनेक बाधाओं से भरी रही हैं। लेकिन श्रीमती सुषुमलता जैसी दूरदर्शी मुखिया के नेतृत्व और सभी हितधारकों अथक प्रयासों के कारण यह ग्राम पंचायत सभी बाधाओं को पार करते हुए विकास का दर्जा प्राप्त करने में सफल रही है। ग्राम पंचायत दावन ने सभी समस्याओं को हल करने के लिये प्रभावी रणनीति अपनायी।

बिहार पंचायत सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के तहत पंचायत भवन निर्मित होने और ग्राम पंचायत को सौंपे जाने के तुरंत बाद, इसे फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय बना दिया गया। लेकिन अभी भी कर्मचारियों की उपलब्धता, उपकरणों की सुरक्षा और कार्यालय की निगरानी सुनिश्चित रखना पंचायत के लिये चुनौती बनी हुई थी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ग्राम पंचायत के मुखिया ने एक रोस्टर जारी किया ताकि कार्यालय की निगरानी तथा भवन और उपकरणों की सुरक्षा के लिये सभी पंचायत कर्मियों के नाम कार्य सूची में डाले जा सकें। पंचायत सरकार भवन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाये गये ताकि मुखिया अपने चैंबर से सारी गतिविधियों पर नजर रख सकें। ग्राम पंचायत दावन ब्लॉक मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और सार्वजनिक परिवहन सुविधायें नहीं के बराबर हैं। दावन के निवासियों को बुनियादी सुविधायें प्राप्त करने के लिये काफी दूर आना जाना पड़ता था। इस मुश्किल को हल करने और ग्रामवासियों की सुविधा के लिये ग्राम पंचायत ने ग्राम पंचायत कार्यालय में साझा सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) की उपलब्धता सुनिश्चित की।

*पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त जानकारी पर आधारित

लोगों की जरूरत को समझते हुए ग्राम पंचायत ने राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसर का लाभ उठाया और ग्राम पंचायत कार्यालय से ही जन सेवा अधिकार काउंटर (आरटीपीएस) का काम शुरू किया। अब आरटीपीएस अधिनियम के तहत नागरिकों को सुविधायें लेने के लिये लंबा सफर करने की जरूरत नहीं है। लोग आरटीपीएस काउंटर से जाति, आवास, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि जारी होने जैसी ऑनलाईन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

दावन के निवासी दूर दराज के क्षेत्रों में रहने और प्रौद्योगिकी संपर्क के अभाव के कारण अक्सर दुनिया भर की ताजा खबरों और नवीनतम सूचनाओं से वंचित रहते थे। इन क्षेत्रों में सूचना पहुंचने की गति धीमी रहने के कारण लोगों में जानकारी का अभाव था। यह अंतराल पाटने की जरूरत को समझते हुए ग्राम पंचायत मुखिया ने पंचायत कार्यालय के स्वागत कक्ष में एक एलईडी स्क्रीन को डीटीएच सेवा से जोड़ा। आज वहां के किसान, विद्यार्थी, युवा और महिलायें आवश्यकतानुसार ताजा खबरों की जानकारी के लिये इस सुविधा का उपयोग करते हैं।

हर गुजरते दिन के साथ नयी से नयी प्रौद्योगिकी सामने आती जा रही हैं। मानव संसाधनों को नवीनतम उपकरणों की जानकारी से अवगत रखना जरूरी है। इससे न केवल उनका आरामदायक और सुविधाजनक वर्तमान तय होगा बल्कि संभावनाओ से भरा भविष्य भी सुनिश्चित होगा। इस जरूरत को समझते हुए दावन ग्रामपंचायत के मुखिया ने एक डिजिटल साक्षरता केंद्र बनाने का विचार किया जहां पंचायत के बच्चों और युवाओं को प्रभावी कंप्यूटर शिक्षा दी जा सके। इसके लिये पंचायत सरकार भवन का एक कमरा चुना गया। अब कंप्यूटर प्रणाली और कक्षा संचालित करने के लिये मानव संसाधन की जरूरत थी। मुखिया ने निकट की रामको फैक्ट्री से संपर्क किया और इस अच्छे काम के लिये कुछ अंशदान मांगा। अपने दृढ़ संकल्प के कारण वे फैक्ट्री के प्रबंधकों को समझाने में सफल रहीं और रामको ने ग्राम पंचायत को डिजिटल साक्षरता कक्ष में लगाने के लिये 10 कंप्यूटर दिये। मुखिया ने स्थानीय स्वयंसेवकों को कक्षाएं चलाने के लिये भी प्रोत्साहित किया और आज ग्राम पंचायत के बच्चों और युवाओं को अपनी पंचायत में ही निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा मिल रही है।

पंचायत के लेखा संबंधी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिये ग्राम पंचायत की लेखांकन प्रणाली

का डिजिटीकरण अनिवार्य है। इस बारे में सीमित कौशल और जानकारी का अभाव भी एक चुनौती थी। लेकिन बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी (बीजीएसवाईएस) द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के सहयोग से अब पंचायत, ग्राम पंचायत प्रबंधन प्रणाली (जीपीएमएस) पर अपना लेखांकन ब्यौरा दर्ज करने में सक्षम है।

पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला के लिये अपने परिवार की सीमा से बाहर निकलना तथा अपनी सामाजिक भूमिका और जिम्मेदारियां निभाना चुनौतीपूर्ण है। मुखिया श्रीमती सुसुमलता ने खुद भी ऐसी चुनौतियां झेली थीं और उनपर विजय पायी थी। इसलिये महिला सशक्तिकरण के लिये काम करने में उनकी विशेष रुचि है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और जीविका स्व सहायता समूहों के सहयोग से समुदाय की महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। आज पंचायत की महिलायें विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में ग्रामपंचायत का सहयोग कर रही हैं। इसके अलावा ग्रामसभा में उनकी भागीदारी भी बढ़ी है। संक्षेप में कहा जाय तो महियायें निर्णय लेने और पंचायत के प्रशासन में योगदान दे रही हैं।

समुदाय को स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, शिक्षा, और सामाजिक न्याय के बारे में शिक्षित करने के लिये ग्राम पंचायत दावन ने सामुदायिक नेताओं और स्वसहायता समूहों के माध्यम से जागरुकता सृजन पर ध्यान केंद्रित किया। पंचायत के बारे में जानकारी और इसके महत्वपूर्ण आयोजनों और गतिविधियों की जानकारी बाहर तक पहुंचाने के लिये पंचायत की अपनी वेबसाईट (www.dawa.bgsys.co.in) है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति राज्य और केंद्र सरकार की बढ़ती

रुचि के कारण ग्राम पंचायत द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर अब सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से निगरानी रखी जा रही है। ग्राम पंचायत दावन नियमित रूप से विभिन्न पीईएस ऐप्लिकेशन पर अपेक्षित डेटा अपलोड करके इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग देने में सक्षम रहा है।

ग्राम पंचायत दावन ने पंचायत विकास की योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का हमेशा प्रयास किया है। ग्राम सभा की भागीदारी से सामाजिक लेखांकन तंत्र मजबूत करने के प्रयास किये गये हैं। ग्राम पंचायत मुखिया ने हमेशा उन लोगों की आवाज सुनने का प्रयत्न किया है जिनकी बात कभी सुनी नहीं गयी। प्रभावी आयोजना और क्रियान्वयन प्रक्रिया के लिये ग्राम पंचायत दावन की विभिन्न समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गयीं। पंचायत में ई. सेवाएं सुनिश्चित करने के लगातार प्रयासों के अनेक संतोषजनक परिणाम मिले हैं।

पंचायत नागरिक केन्द्रित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ हो गई है। ग्रामवासी सीएससी और आरटीएस सं संबंधित सुविधाएं ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर रहे हैं। ग्राम पंचायत रामको फैक्ट्री से अपनी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व कोष लेने में सफल रहा है। पंचायत विशेषकर गांव के युवाओं और बच्चों को सूचना प्रद्यौगिकी से जोड़ने में भी सफल हुआ है। उसने अपने निवासियों को बाहर की दुनिया से जोड़ा है और जानकारी का अंतराल पाटा है। दावन पंचायत की अपनी वेबसाइट है और इसके लेखा खातों का डिजिटीकरण हो चुका है। इसके अलावा ग्राम पंचायत दावन खुले में शौच से मुक्त पंचायत है और यह पंचायत स्तर की आयोजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में भी समर्थ है। पंचायत के सभी घरों को नल से पानी की सुविधा उपलब्ध है।

दावन ग्राम पंचायत को महिलाओं को घर के दायरे में सीमित रखने वाले पुरुष–प्रधान समाज की चली आ रही परिपाटी तोड़ने में भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ग्राम पंचायत के पास अबद्ध कोष की बहुत ही सीमित राशि हैं जिसका उपयोग वह बहुत ही विशेष जरूरतों के लिए कर सकती है। श्रीमती सुषुम लता के नेतृत्व में आवश्यकताएं पूरी करने के लिए गैर पारंपरिक स्रोतों से भी धन जुटाया गया। ग्राम पंचायत ने इस बात को समझा कि सक्षम नेतृत्व, समुचित कोष प्रबंधन, सक्रिय समन्वय तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने और सीमित संसाधनों के साथ भी लोगों का जीवन स्तर सुधारने में मदद कर सकता है। प्रभावी विकास पंचायत की अनिवार्य आवश्यकता है और विकास योजना की सक्षमता सहभागिता से पूरी की जा सकती है।

यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ग्राम पंचायत दावन की विकास यात्रा आसान रही है, वास्तव में यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। लेकिन दूरदर्शी सरपंज/मुखिया के नेतृत्व और सभी पक्षों के अथक प्रयासों से विकास का लक्ष्य हासिल करना संभव हो सका। ग्राम पंचायत ने भविष्य के सतत विकास के लिए प्रभावी रणनीति बनायी। इसमें ग्राम पंचायत समीतियों को सक्रिय रख गया, महिलाओं/स्वसहायता समूहों को नवीनतम प्रौद्योगिकी से जोड़ा गया ताकि रोजगार बाजार में उनका महत्व बढ़ सके और ग्राम पंचायत के भीतर और अधिक रोजगार अवसर सृजित हो सके।

राजस्व सृजन से आत्मनिर्भरता के पथ पर : कीनाउ ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत का नाम	कीनाउ
राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	मणिपुर
थीम	राजस्व सृजन में नवाचार

कीनाउ ग्राम पंचायत को अपने स्रोत से राजस्व सृजन के उल्लेखनीय प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ पंचायत के रूप में दीनदयालय उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार – 2020 से सम्मानित किया गया। यह ग्राम पंचायत मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के नम्बोल सीडी ब्लॉक के अन्तर्गत आता है। यह जिला मुख्यालय बिष्णुपुर से 7 किलोमीटर उत्तर और राजधानी इम्फाल से 22 किलोमीटर की दूरी पर हैं। मिशन अन्त्योदय सर्वे, 2019 के अनुसार कीनाउ ग्राम पंचायत की कुल आबादी 8788 हैं। यहां की साक्षरता दर 78 प्रतिशत और स्त्री–पुरूष अनुपात 1000 लड़कों पर 990 लड़कियों का हैं। इस ग्राम पंचायत में तीन गांव हैं और अधिकांश लोग आसपास के धान के खेतों में कृषि श्रमिक के रूप में काम करते हैं। ग्राम पंचायत और जिले में बहुसंख्यक आबादी मीतेई समुदाय की है।

ग्राम पंचायतों को अपने राजस्व स्रोत से वित्तीय रूप से सशक्त बनाने और बुनियादी सेवा की आपूर्ति में ग्राम पंचायतों को बिना शर्त सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14वें वित्त आयोग के द्वारा एक आरओ प्लस यूवी उपचारित पेयजल संयंत्र कियोस्क (वाटर एटीएम) पंचायत घर में उपलब्ध कराया गया। जहां से लोग 10 रूपये में 20 लीटर पेयजल किसी भी समय ले सकते हैं।

पीने के पानी की आपूर्ति सेवा के लिए ग्राम पंचायत ने मांग आधारित व्यवस्था के लिए समुदाएं और स्थानीय सरकार (पंचायती राज संस्थाएं) के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता हैं। जलापूर्ति सेवाओं की तैयारी, निर्माण तथा संचालन और रख रखाव में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा सामुदायिक भागीदारी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का अभिन्न हिस्सा है।

कीनाउ ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्याएं है कि 90 प्रतिशत परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध नहीं था और इन्हें पूरी तरह तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था जो रेडियों एक्टिव तत्वों और अत्यधिक फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण काफी अस्वास्थ्यकर है। उपयोग के लिए पानी टैंकर जलापूर्ति सेवा से खरीदना पड़ता था। राज्य में वार्षिक वर्षा 1881 मिलीमीटर से भी अधिक होने के बावजूद सर्दियों में ग्राम पंचायत के लगभग सभी जल निकाय सूख जाते हैं। ग्राम पंचायत एक भी गांव में जलापूर्ति की समुचित व्यवस्था करने में सफल नहीं हो सकी और इस बारे में पीएचईडी के संदर्भ में देश में उसका डिवोल्यूशन इंडेक्स सबसे कम रहा। यह स्थिति जलापूर्ति प्रबंध में एक गंभीर बाधा बनती जा रही थी। ग्राम पंचायत कीनाउ के कुल घरों के लगभग 50 प्रतिशत परिवार अभी पैसे देकर पानी खरीद रहे थे। बाकी लोग पीने का पानी खरीदने में सक्षम नहीं हैं जिसके कारण वे जलजनित अनेक बीमारियों के शिकार होते थे।

नवंबर 2017 में नवनिर्वाचित प्रधान (न्गागोम सोवना देवी) और निर्वाचित निकाय ने इस समस्या को प्रतिष्ठा के प्रश्न के तौर पर लिया और जल्दी से जल्दी इसे हल करने का फैसला किया। ग्राम सभा की अगली बैठक में महिला स्व सहायता समूह, सीबीओ के वरिष्ठ नागरिक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक इकाइयों के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। बैठक का उद्देश्य था वित्तीय संकट की गंभीरता और संकट से निपटने के लिये विभिन्न एजेंसियो के सहयोग के महत्व को समझा जाए।

पंचायत द्वारा अपनायी गयी मुख्य रणनीति थी प्रत्येक वार्ड में स्थिति में सुधार सुनिश्चित करना और अन्य स्रोतों से संसाधन नियोजित करना। समस्या की पहचान और समाधान के उपाय तलाशने के लिये पंचायत ने प्रति माह वार्ड स्तरीय बैठकें आयोजित करना शुरू की। इन बैठकों से पंचायतों

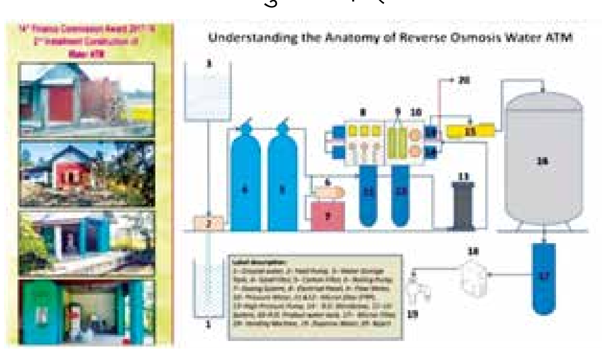

को आरओ़यूवी उपचारित पेयजल के बारे में जागरुकता बढ़ाने और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान में मदद मिली। मतदाताओं के साथ बातचीत से समुदाय के बीच भरोसा जागा कि निर्वाचित प्रतिनिधि उनकी समस्याओं और जरूरतों के प्रति गंभीर हैं। ऐसी बातचीत ने पंचायत को भी समुदाय की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाया। ग्राम प्रधान ने एक शिक्षिका के रूप में अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि का लाभ उठाया तथा ब्लॉक और जिला स्तर पर संसाधनों को सक्रिय करना शुरू किया। इसी श्रृंखला में ग्राम पंचायत ने उच्चाधिकारियों और नेताओं तक अपनी समस्याएं पंहुचायी हैं।

ग्राम पंचायत प्रधान ने पहल की और पंचायत घर में आरओ संयंत्र लगवाया। आरओ संयंत्र लगाने की राशि का प्रबंध पंचायत को मिली चौदहवें वित्त आयोग की निधि से किया गया। पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था एक वेंडिंग मशीन के जरिये की गयी जिसमें 5–5 रुपये के दो सिक्के डालने पर 20 लीटर आरओ उपचारित पेयजल मिलता है। ग्राम पंचायत में प्रत्येक परिवार को 20 लीटर पेयजल के लिये कार्ड जारी किया गया। यह संयंत्र "कांगलेई एशिंग" के नाम से जाना जा रहा है। यहां से पानी की आपूर्ति सुबह 6 बजे शुरू हो जाती है और शाम 6 बजे तक जारी रहती है। ग्राम पंचायत के लोग अपने घरों में पानी टैंक में जमा कर लेते हैं। अगर अधिक पानी की जरूरत होती है तो फिर पानी ले लेते है। इस संयंत्र का प्रबंधन ग्राम सभा से तय महिला स्वसहायता समूह कर रहा है जिसे प्रतिमाह 1500 रूपये का भुगतान किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह स्वसहायता समूह धार्मिक अवसरों और अन्य आयोजनों पर थोक में आरओ पानी की आपूर्ति निःशुल्क करता है। ग्राम पंचायत ने प्लास्टिक बोतलों पर पाबंदी लगायी है और ताम्बे के बर्त्तनों में पीने का पानी रखने के फायदों से लोगों को अवगत करा रही है।

सर्वोत्तम उपायों के लाभ

- इस योजना के क्रियान्वयन से गांव के लोगों को काफी राहत मिली है क्योंकि वहां अब पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है और आरओ + यूवी उपचारित पानी का समुचित उपयोग हो रहा है जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिला है।
- जलजनित रोगों में कमी आई है और बच्चें स्वस्थ्य और सुरक्षित हैं। पानी से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें 50 प्रतिशत कम हो गयी हैं।
- कैंसर के मामलों में भारी कमी आयी है।
- जलजनित रोगों से बच्चों के बीमार पड़ने की कोई घटना नहीं हुई है।
- महिलाएं सशक्त हुई हैं। उन्होंने ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेकर पानी की समस्या और इसे दूर करने की मांग सामने रखी। वे अपने सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के अधिक सक्रिय हुई है।
- घरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि पुरूष और महिलाएं नियमित रूप से अपना काम और रोजगार करने में समर्थ है।
- आरओ संयंत्र से सप्ताह के सातों दिन पीने का स्वच्छ पानी मिलता है और किसी प्रकार की कोई समस्या और विवाद नहीं हैं।
- ग्राम पंचायत रक्षा सेवा, और पुलिसकर्मियों को 50 प्रतिशत रियायती दर पर पानी उपलब्ध कराती है।

इस प्रयास से ग्राम पंचायत कीनाउ को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों लाभ मिले हैं। स्रोत पर ही राजस्व के रूप में तुरंत लाभ प्राप्त हुआ है। आय अर्जित करने के प्रमुख स्रोतों में 65 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। पानी के वितरण, स्वच्छता और साफ–सफाई, स्ट्रीट लाईट और अन्य सेवाएं ग्राम पंचायत द्वारा नियमित रूप से उपलब्ध करायी जा रही

पंचायत घर में आरओ पानी लेने के लिए पंक्तियों में प्रतीक्षा करते लोग

आरओ संयंत्र से पानी लेते रक्षा कर्मी

हैं। ग्राम पंचायत संसाधनों के सृजन को विकास का अभिन्न अंग मानता है। इसने विभिन्न स्रोत जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, समय–समय पर लगने वाले बाजार, स्थायी दुकानों जैसे कई स्रोतों की पहचान की है जहां से आय अर्जित किया जा सकता है। ग्राम पंचायत ने लोगों को कर देने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। ग्राम पंचायत कामकाज की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतती है, यह ग्राम सभा की बैंठकों में अर्जित राजस्व राशि और हुए व्यय की घोषणा करती है। पहले की तुलना में ग्राम पंचायत की राजस्व आय में बढ़ोत्तरी हुई है। अब ग्रामवासी कर और शुल्कों का भुगतान खुशी से करते हैं कई बार तो वे स्वयं ग्राम पंचायत कार्यालय आकर राजस्व की बकाया राशि के बारे में जानकारी लेते है।

राज्य में कानून और व्यवस्था की अस्थिर स्थिति और अकुशल प्रबंधन प्रणालियों के बावजूद कीनाउ ग्राम पंचायत ने निर्धन वर्ग को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का हर संभाव प्रयास किया है। इस ग्राम पंचायत से लिया जाने वाला सबसे बड़ा सबक हैं– जनहित के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों का टीम वर्क। यह लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्ध ता और जवाबदेही दर्शाता है। यह समझते हुए कि व्यक्तिगत रूप से वे व्यवस्था से नहीं लड़ सकते, उन्होंने साझा हित के लिए स्वयं को एकजुट किया, भले ही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम क्यों न करना पड़ा हो। उन्होंने आरओ पेयजल कीनाउ ग्राम पंचायत के अन्य गांव तक पहुंचाने और पर्याप्त राजस्व अर्जित करने के लिए कठिन परिश्रम किया। स्थानीय विधायक का प्रबुद्ध आहवान– ''व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि सामूहिक लाभ के लिए कार्य''– ग्राम पंचायत की कार्य प्रणाली की पहचान बन गयी है।

बांये से – बीडीओ नम्बोल सीडी ब्लॉक, पीएचइडी से ईई, स्थानीय विधायक, डीसी बिष्णुपुर जिला, प्रधान कीनाउ ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य– कीनाउ ग्राम पंचायत में आरओ संयंत्र स्थल और उपकरणों का निरीक्षण करते हुए।

Your feedback is Valuable to Us!
आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुमूल्य है।

गोंद के साथ चिपकाइये PASTE WITH GLUE

Feedback Form For Gramoday Sankalp/
ग्रामोदय संकल्प के लिए प्रतिक्रिया फार्म

We welcome your valuable suggestions and feedback on Gramoday Sankalp/
हम ग्रामोदय संकल्प पर आपके बहुमूल्य सुझावों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं

Name/नाम ....

Designation/पद ....

Address/पता ....

....

Email/ईमेल .... Phone/फोन ....

1. Your opinion about the overall quality of Gramoday Sankalp/ ग्रामोदय संकल्प की समग्र गुणवत्ता के बारे में आपकी राय (✓):-
   - ❑ Excellent/उत्तम ❑ Very Good/बहुत अच्छा ❑ Good/अच्छा ❑ Average/सामान्य
2. Impact on the readers in terms of awareness generation/ जागरूकता सृजन के संदर्भ में पाठकों पर प्रभाव (✓):-
   - ❑ Positive/सकारात्मक ❑ Average/सामान्य ❑ Indifferent/साधारण
3. Awareness about the Schemes for benefit of the Panchayats/ पंचायतों की लाभार्थ योजनाओं के बारे में जागरूकता (✓):-
   - ❑ Well aware/अच्छी तरह से जागरूक ❑ Need improvement/सुधार की जरूरत
4. How did you find the content of the magazine. Is it useful?/ आपको पत्रिका में प्रस्तुत सामग्री कैसी लगी? क्या यह उपयोगी है? (✓):-
   - ❑ Yes/हां ❑ No/नहीं
5. Do you feel government schemes showcased are beneficial/ क्या आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं का विवरण उपयोगी है? (✓):-
   - ❑ Yes/हां ❑ No/नहीं
6. Do you need more copies of the magazine. If so, please specify/ क्या आपको पत्रिका की अधिक प्रतियां चाहिए। यदि हां, तो कृपया संख्या बताएं।
   - Issue No./अंक सं. ____________ Quantity/संख्यां ____________
7. How many copies do you suggest should be sent to panchayats in case of forthcoming issues/ आगामी अंकों की पंचायतों को कितनी प्रतियां भेजी जानी चाहिए।
   - ❑ 1-2 ❑ 3-5 ❑ 6-10 ❑ 11-15
8. Your comments, suggestions, for us, to improve this Magazine/
   इस पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपके सुझाव व टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

....

....

अवर सचिव
पंचायती राज मंत्रालय
टावर II, 9वीं मंजिल कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
वेबसाइट : www.panchayat.gov.in

UNDER SECRETARY
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ
Tower II, 9th floor, Jeevan Bharti Building,
Connaught Place, New Delhi-110001
Website : www.panchayat.gov.in

गोंद के साथ चिपकाइये PASTE WITH GLUE

गोंद के साथ चिपकाइये PASTE WITH GLUE

यहां से फाड़िए TEAR HERE

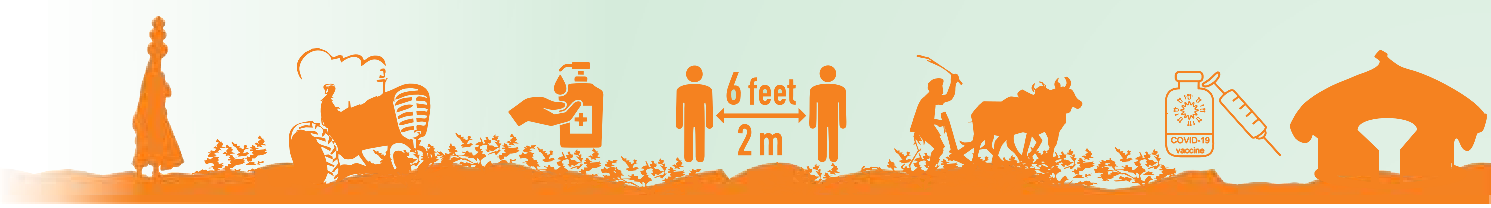

यहां काट कर खोलिए TO OPEN CUT HERE

अन्तर्देशीय पत्र कार्ड
INLAND LETTER CARD

डाक टिकट
POSTAL STAMP
₹ 2.50/-

यहां काट कर खोलिए TO OPEN CUT HERE

UNDER SECRETARY

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

TOWER II, 9TH FLOOR, JEEVAN BHARTI BUILDING,

CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI

पिन PIN **1 1 0 0 0 1**

TO OPEN CUT HERE यहां काट कर खोलिए

दूसरा मोड SECOND FOLD

इस पत्र के अन्दर कुछ न रखें | NO ENCLOSURES ALLOWED
पते में पिन कोड लिखें | WRITE PIN CODE IN ADDRESS
प्रेषक का नाम और पता :– | SENDER'S NAME AND ADDRESS

पिन PIN

मनरेगा-रोजगार प्रदान करने वाली सबसे बड़ी योजना : श्री तोमर

केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण, पंचायती राज एवं खाद्य प्रास्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 वीं रोजगार गारंटी परिषद बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली, 23 फरवरी 2021। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 10 के तहत गठित केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 22वीं बैठक 23.02.2021 को केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, श्री नरेद्र सिंह तोमर ने कहा कि **महात्मा गांधी नरेगा** सबसे बड़ी रोजगार सृजन योजनाओं में से एक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करती है। चालू वित्त वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी की छाया में, महात्मा गांधी एन.आर.ई.जी.एम. ने काम चाहने वालों को रोजगार प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब तक कुल 344 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए है, जो अब तक एक वर्ष में सृजित सबसे अधिक मानवदिवस है और पिछले वर्ष इतनी अवधि के दौरान सृजित मानवदिवस की तुलना में 44% अधिक है। इस वर्ष 1.69 करोड़ नए जॉब कार्ड जारी किए गए थे, जबकि पिछले वर्षों में लगभग 60 लाख ही थे, जो कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गांवों में मिले काम की सफलता को दर्शाते हैं। लगभग 72 लाख टिकाऊ और उपयोगी परिसंपतियों का सृजन भी इसी दौरान हुआ। राज्यों की सरकार और केंद्र सरकार के समन्वित प्रयासों के साथ कुल 4.29 करोड़ परिसंपत्तियों को जियोटैग किया जा चुका है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल मानवदिवस में से 52% महिला मानवदिवस सृजित हुए है, जो कार्यक्रम में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। सरकार ने व्यक्तिगत परिसंपतियों और जल संरक्षण/सिंचाई के लिए सृजित परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी है।

साथ ही श्री तोमर ने बताया कि पारदर्शिता और जवाबदेही हासिल करने की दृष्टि से, सरकार महात्मा गांधी नरेगा कामगारों के बैंक खाते में काम के 100% भुगतान को भेजने के लिए सभी कदम उठा रही है और तदनुसार सामाजिक अंकेक्षण पर जोर देती है। वित्त वर्ष

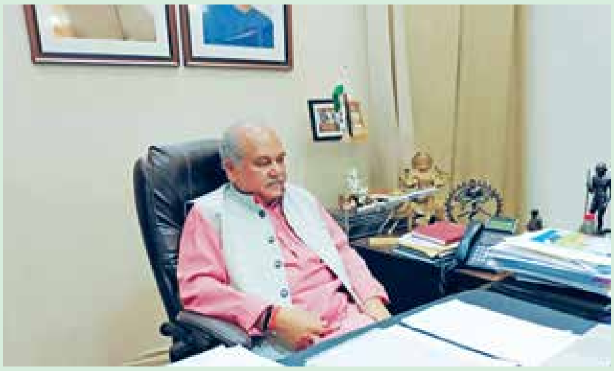

2020–21 के लिए 1,11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि सर्वकालिक उच्चतम है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 93,000 करोड़ रुपये अब तक जारी जारी हो चुके हैं। उन्होंने जरूरत के मामले में कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने का सरकार का संकल्प भी दोहराया।

माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि कोविड–19 महामारी के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 20 जून 2020 को, ग्रामीण क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों और इसी तरह प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरु किया गया। इस अभियान का उद्देश्य 6 राज्यों बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ रूपये के संसाधन के साथ 116 चुनिंदा जिलों में 25 कार्यों पर विशेष ध्यान देते हुए आय–सर्जक कार्यकलापों को बढ़ावा देने और लंबी अवधि, आजीविका अवसरों का सृजन करने के लिए संकटग्रस्त को तत्काल रोजगार और आजीविका अवसर उपलब्ध कराना, गावों में सार्वजनिक अवसंरचना उपलब्ध कराना और आजीविका परिसंपत्तियों का सृजन करना था। भारत सरकार के कुल 12 मंत्रालयों/विभागों ने इस अभियान में भाग लिया। अभियान के दौरान 30,293 करोड रुपये के व्यय के साथ कुल 50.78 करोड़ मानव दिवस का सृजन हुआ। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति, सचिव, ग्रामीण विकास, नागेंद्र नाथ सिन्हा ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

Gramoday Sankalp Hindi Edition
Volume 1 No. 10 RNI No.:DELHIN/2017/79666

केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल : श्री तोमर

नई दिल्ली, 18 मार्च 2021। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के करकमलों से वर्चुअल माध्यम द्वारा गुरूवार को मध्यप्रदेश के सवा लाख ग्रामीण परिवारों का प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत निर्मित आवासों में गृह प्रवेश संपन्न हुआ। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में धार में मुख्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित साढ़े 10 हजार से ज्यादा सामुदायिक कार्यों का लोकार्पण किया गया। इनमें 6 हजार सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2 हजार खेल मैदान, 2 हजार शांतिधाम और 634 पंचायत भवन शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के 5 लाख हितग्राहियों के बैंक खातों में 2 हजार करोड़ रु. की राशि भेजी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अव्वल स्थान पर है। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस बात का प्रयत्न किया है कि 2022 तक देश के सभी आवासहीन बंधुओं को अपना मकान मिल जाए। 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य है। अब तक देशभर में 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मकान बनाए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश को केंद्र सरकार ने 26 लाख 28 हजार आवासों का आवंटन किया है। पूर्ववर्ती सरकार की आवास बनाने में कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन श्री शिवराज सिंह चौहान का दोबारा नेतृत्व मध्यप्रदेश को प्राप्त हुआ है और कार्यों में गति आई है। अब तक मध्यप्रदेश में 18 लाख 26 हजार आवास बन चुके हैं। आवास योजना के तहत 16 हजार 528 करोड़ रु. केंद्र ने जारी किए हैं और मध्यप्रदेश इसका सदुपयोग कर रहा है।

श्री तोमर ने कहा कि आवास योजना के तहत पिछले इतिहास में देखे तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में एक साल में सिर्फ 6 लाख आवास बनते थे अब हमारी सरकार में 29 लाख मकान प्रतिवर्ष बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में यूपीए शासनकाल में एक साल में औसतन 16 हजार मकान बनते थे। अब आवासों का आवंटन और पैसा बढ़ा तो आज मध्यप्रदेश में एक वर्ष में 3 लाख 25 हजार मकान बन रहे हैं। मध्यप्रदेश देश में आवास योजना की प्रगति में देश में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है।

श्री तोमर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि के क्षेत्र में एक लाख करोड़ का अधोसंरचना फंड स्थापित किया गया है। इस राशि से गांवों में ही कृषि अधोसंरचनाओं का विकास हो रहा है। इसके साथ ही खाद्य प्रंस्करण के लिए भी 10 हजार करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने जारी की है। इस राशि से गांवों में कुटीर उद्योग एवं एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किए गए उत्पादों के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश को भी इस योजना में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की बहनें भी इस योजना में हिस्सा लेकर अपना स्वयं का कार्य प्रारंभ कर सकती हैं। इस अवसर पर स्वामित्व योजना का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि गांवों में रहने वाले लोंगों को उनके मकान का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 24 अप्रैल 2020 को 6 राज्यों में स्वामित्व योजना के पायलट चरण को प्रारंभ किया था, अब इस योजना का पूरे देश में विस्तार होने जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे गरीब भाई बहन जो कच्चे मकानों में रहते थे आज उनके पक्के मकान बने हैं और आज उनका गृह प्रवेश हो रहा है। आज सवा लाख मकानों में गृह प्रवेश हुआ है, इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के करकमलों से और ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी की उपस्थिति में पौने 2 लाख परिवारों का गृह प्रवेश हो चुका है। मध्यप्रदेश में कोरोना काल में एक साल में 3 लाख मकान बनाकर पूर्ण किए गए हैं।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा, धार सांसद श्री छतरसिंह दरबार, विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा भी उपस्थित थे।

पंचायती राज मंत्रालय

पंचायती राज मंत्रालय
www.facebook.comèMinistryOfPanchayatiRaj
@mopr_goi

ग्रामीण विकास मंत्रालय
www.facebook.comèIndiaRuralDev
@mord_goi

पेयजल और स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय
www.facebook.comèMODWS
@swachhbharat

पंचायती राज
यू ट्यूब चैनल

ग्रामोदय संकल्प
मोबाइल एप्प

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित
मुख्य संपादक : सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय
इण्डिया ऑफसेट प्रेस, ए–1, मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज़– I, मायापुरी, नई दिल्ली –110064 **द्वारा मुद्रित**
पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, टावर–II, नौंवा तल, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 **द्वारा प्रकाशित**

The translation of Gramoday Sankalp has been carried out by experienced translators and duly vetted and corrected by State Institues of Rural Development (SIRDs) under Ministry of Panchayati Raj, with an attempt to convey the meaning in easy and commonly spoken words. Any inadvertent error or omissions, if any, found in the translation is unintentional and not meant to hurt any feelings and therefore may be excused.